## अनुलग्नकों की सूची

| | |
|---|---|
| अनु. क्र. 1.1 | चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन एवं अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना |
| अनु. क्र. 1.2 | सचिव, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति आदेश |
| अनु. क्र. 1.3 | राज्य वित्त आयोग हेतु संदर्भ शर्ते |
| अनु. क्र. 1.4 | आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की प्रथम अधिसूचना |
| अनु. क्र. 1.5 | आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की द्वितीय अधिसूचना |
| अनु. क्र. 1.6 | आयोग के संभागस्तरीय / जिला स्तरीय बैठकों की जानकारी |
| अनु. क्र. 1.7 | राज्य शासन के पदाधिकारी जिनसे आयोग द्वारा चर्चा की गयी |
| अनु. क्र. 1.8 | राज्य वित्त आयोग द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं / सेमीनारों में भागीदारी |
| अनु. क्र. 3.1 | छत्तीसगढ़ राज्य बजट के अनुसार कर वसूली व्यय की गणना |
| अनु. क्र. 3.2 | समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में राज्य की स्वयं की आय में से सीधे स्थानीय निकायों को वास्तविक अंतरित राशि का विवरण |
| अनु. क्र. 3.3 | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि का आंकलन |
| अनु. क्र. 3.4 | तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की कृत कार्यवाही प्रतिवेदन |
| अनु. क्र. 6.1 | प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या |
| अनु. क्र. 6.2 | 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में जिला पंचायतों की औसत जनसंख्या |
| अनु. क्र. 6.3 | छत्तीसगढ़ राज्य में पेसा ग्राम पंचायतों की सूची |
| अनु. क्र. 6.4 | जिला स्तर पर नगरीय स्थानीय निकायों की संख्या |
| अनु. क्र. 6.5 | जनगणना 2011 के अनुसार नगर निगम की जनसंख्या |
| अनु. क्र. 6.6 | जनगणना 2011 के अनुसार नगर पालिका परिषद की जनसंख्या |
| अनु. क्र. 6.7 | जनगणना 2011 के अनुसार नगर पंचायत की जनसंख्या |
| अनु. क्र. 7.1 | चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श आकार |
| अनु. क्र. 7.2 | ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता |
| अनु. क्र. 7.3 | ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में नल जल योजना की स्थिति |
| अनु. क्र. 7.4 | जल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मापदंड |
| अनु. क्र. 7.5 | जल जीवन मिशन की भौतिक प्रगति |

अनु. क्र. 7.6 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में जल निकासी तथा ठोस अपशिष्ट निराकरण
अनु. क्र. 7.7 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट योजना की स्थिति
अनु. क्र. 7.8 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में आंगनबाड़ी तथा मितानिन
अनु. क्र. 7.9 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में विद्यालय की उपलब्धता
अनु. क्र. 8.1 आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क अधिरोपण की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010
अनु. क्र. 11.1 उड़ीसा शासन के स्थानीय निकायों को उड़ीसा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राशि हस्तांतरण संबंधी आदेश
अनु. क्र. 12.1 स्तरांक की गणना हेतु आवश्यक आंकड़े एवं स्तरांक के गणना की जानकारी
अनु. क्र. 12.2 छततीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या
अनु. क्र. 12.3 ग्राम पंचायतों के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय की गणना
अनु. क्र. 12.4 नगरीय निकायों के बकाया कच्ची सड़कों को पक्का करने की लागत
अनु. क्र. 12.5 नगरीय निकायों में बकाया नाली रहित सड़कों पर नाली बनाने की लागत
अनु. क्र. 12.6 बकाया प्रकाश रहित सड़कों पर स्ट्रीट लाईट लगाने की लागत
अनु. क्र. 12.7 नगरीय निकायों की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय
अनु. क्र. 12.8 पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं के स्रोत से प्राप्तियाँ
अनु. क्र. 12.9 पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं के स्रोत को छोड़कर अन्य मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ (वर्ष 2017–18 से 2021–22)
अनु. क्र.12.10 पंचायती राज संस्थाओं की 2025–26 से 2029–30 तक विभिन्न मदों से प्रक्षेपित प्राप्तियाँ
अनु. क्र.12.11 नगरीय निकायों की स्वयं की स्रोत से कुल आय
अनु. क्र.12.12 नगरीय निकायों की स्वयं के स्रोत को छोड़कर अन्य मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ (वर्ष 2017–18 से 2021–22)
अनु. क्र.12.13 नगरीय निकायों की 2025–26 से 2029–30 तक विभिन्न मदों से संभावित (प्रक्षेपित) प्राप्तियां
अनु. क्र.12.14 100 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण करने पर प्रक्षेपित प्राप्तियाँ
अनु. क्र.12.15 स्थानीय निकायों को समनुदेशिक प्राप्तियों के रूप में देय / कर / उपकर अधिभार राशि

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021 — श्रावण 8, शक 1943

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना

क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री सरजियस मिंज, अध्यक्ष होंगे।

2. आयोग के अध्यक्ष, ऐसी तारीख, जिस पर वे पदभार ग्रहण करते है, से 31 जुलाई, 2023 तक पद धारण करेंगे।

3. आयोग को सौंपे जाने वाले कार्यों के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी।

4. आयोग, उपरोक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होने वाली 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2023 तक या उससे पूर्व उपलब्ध करायेगा। आयोग यह भी उपदर्शित करेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आनंद मिश्रा**, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना क्रमांक 37, दिनांक 29 जुलाई, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आनंद मिश्रा**, उप-सचिव.

अनुलग्नक - 1.2

(39)

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग,
'मंत्रालय'
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

अटल नगर, दिनांक 2 /02/2022

क्रमांक 87 /1037/2021/स्था./चार ::: राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सतीश पाण्डेय, सेवानिवृत्त अपर सचिव, (छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी) वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में प्रावधान अनुसार सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर के पद पर एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2/2/2022
(प्रेमा गुलाब एक्का)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 88 /1037/2021/स्था./चार, अटल नगर, दिनांक 2 /02/2022

प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
05. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
06. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर
07. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
08. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
10. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग (वित्त आयोग प्रकोष्ठ), मंत्रालय, अटल नगर
11. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, नवा रायपुर/रायपुर
12. संबंधित अधिकारी --------------
13. आदेश फोल्डर

------- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

2/2/2022
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**
**वित्त विभाग**
**–::मंत्रालय::–**
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**
**–––00–––**

**<u>अधिसूचना</u>**

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 मार्च, 2022

**क्रमांक** 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021 – यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 का अनुसरण करते हुए, अधिसूचना क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ एवं 243 म द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा देगा–

1. (क) निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो) के मध्य वितरण जो संविधान के भाग 9 और 9क के अधीन उनमें विभाजित किए जायें को तथा सभी स्तरों पर पंचायतों और नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो), के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी; और

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान।

(ख) पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों और अनुशंसाएं करने सहित निम्नलिखित के संबंध में–

(एक) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेतर राजस्व व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण, और संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाओं को

चिन्हांकित करने, विशेषतः ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार उद्गृहित करने, ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ति हो सके;

(दो) स्थानीय शासन के द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार ऋण लेने की संभावना, एवं इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था;

(तीन) स्थानीय शासन की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास;

(चार) स्थानीय शासन के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने;

(पांच) राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने; और

(छः) स्थानीय शासनों द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता हासिल करने।

(ग) स्थानीय शासन के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य बांटने की आवश्यकता;

(घ) नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की संभावनाएं।

2. आयोग, उसकी अनुशंसाएं करने में, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखेगाः–

(एक) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन पर होने वाली राजकोषीय मांगें;

(दो) स्थानीय निकायों के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं; और

(तीन) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय निकायों को दी जा रही निधियां।

3. आयोग यह बतायेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।

4. आयोग उपरोक्त प्रत्येक विषय पर 1 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होने वाली आगामी पांच वर्ष की कालावधि के लिए अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई 2023 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार**

**(पूजा शुक्ला)**
उपसचिव
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

-------00-------

**अधिसूचना**

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई, 2023

क्र. 39/आर-14/वित्त/वि.आ.प्र/चार/2021 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के खण्ड (1) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 एवं अधिसूचना क्र. 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 23 मार्च, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, –

सरल क्रमांक 4 में, शब्द तथा अंक "31 जुलाई, 2023" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "31 अक्टूबर, 2023" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पूजा शुक्ला)
उप सचिव
वित्त विभाग

अनुलग्नक - 1.5

**छत्तीसगढ़ शासन**
**वित्त विभाग**
**मंत्रालय,**
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

---00---

**अधिसूचना**

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी, 2024

क्र. 02/आर–14/वित्त/वि.आ.प्र/चार/2021 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के खण्ड (1) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021, अधिसूचना क्र. 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 23 मार्च, 2022 तथा अधिसूचना क्र. 39/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 28 जुलाई 2023 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, –

सरल क्रमांक 4 में, शब्द तथा अंक "31 अक्टूबर, 2023" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "**31 जनवरी, 2024**" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पूजा शुक्ला)
उप सचिव
वित्त विभाग

| स्थानीय निकायों के साथ आयोजित बैठकों का विवरण | | |
|---|---|---|
| क्र. | स्थान | दिनांक |
| 01 | बस्तर संभाग | 12–13 अप्रैल, 2022 |
| 02 | बिलासपुर संभाग | 28–29 अप्रैल, 2022 |
| 03 | सरगुजा संभाग | 19–20 मई, 2022 |
| 04 | दुर्ग संभाग | 16–17 जून, 2022 |
| 05 | रायपुर संभाग | 07–08 जुलाई, 2022 |
| 06 | राजनांदगांव | 14 अक्टूबर, 2022 |
| 07 | जशपुर | 31 अक्टुबर, 2022 |
| 08 | सारंगढ़–रायगढ | 19–20 जनवरी 2023 |
| 09 | नारायणपुर | 09 फरवरी, 2023 |
| 10 | कांकेर | 10 फरवरी, 2023 |
| 11 | जनपद पंचायत दुलदुला, कुनकुरी | 15 मई, 2023 |
| 12 | बचेली, दंतेवाड़ा | 22–23 अगस्त 2023 |

## अनुलग्नक - 1.7

### राज्य शासन के पदाधिकारी जिनसे आयोग द्वारा चर्चा की गई

1 **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग –**

- अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
- संचालक, संचालनालय पंचायत
- निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, छत्तीसगढ़
- उप संचालक, पंचायत संचालनालय

2. **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग –**

- प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
- संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

3. **वित्त विभाग –**

- सचिव, वित्त विभाग
- आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा

4. **स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग**

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग
- उप संचालक, महिला एवं बाल विकास

5. **लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग**

- मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

6. **आबकारी विभाग**

- संचालक, आबकारी विभाग

7. **मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग**

- महानिदेशक, मुद्रांक
- संयुक्त संचालक वित्त, मुद्रांक एवं पंजीयन

अनुलग्नक - 1.8

## राज्य वित्त आयोग द्वारा विभिन्न सेमिनार में भागीदारी

1. Indian Institute of Public Finance & Policy (NIPFP) New Delhi o UNICEF के तत्वाधान में Need and Significance of Including Child indicators in the Devolution formulae by the State Finance Commissions विषय पर आयोजित कन्सल्टेशन वर्कशॉप, दिनांक 22 अप्रैल 2022 में भाग लिया गया।

2. National Institute of Rural Development & Panchayati Raj हैदराबाद के तत्वाधान में National Conclave on State Finance Commissions विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार, दिनांक 29–30 नवंबर 2022 में भाग लिया गया।

3. Indian Institute of Public Finance & Policy (NIPFP) o UNICEF के तत्वाधान में "Mainstreaming Children Priorities in Planning - Integrating Child Related Indicators into State Finance Commissions' Recommendations" विषय पर दिनांक 08.08.2023 को एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया गया।

4. सेंटर फॉर अर्बन स्टडीस, Indian Institute of Public Administration (IIPA) दिल्ली के साथ दिनांक 25.09.2023 को चर्चा में भाग लिया गया।

अनुलग्नक - 3.1

## राज्य के कर वसूली व्यय की गणना

(राशि हजार रू. में)

| क्र. | वर्ष | राजस्व विभाग<br>0029 भू–राजस्व | | परिवहन<br>0041 वाहनो पर कर | | ऊर्जा<br>0043 बिजली पर कर एवं शुल्क | | वाणिज्यिक<br>कर<br>0006 राज्य<br>0023 होटल प्राप्ति<br>0028 आय एवं व्यय पर अन्य कर<br>0030 स्टाम्प एवं पंजीयन<br>0039 राज्य उत्पाद शुल्क<br>0040 विक्री व्यापार आदि पर कर<br>0042 माल एवं यात्रियों पर कर<br>0045 वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर/शुल्क | | योग | | कुल प्राप्ति में संग्रहण लागत का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कर प्राप्ति | संग्रहण लागत | कर प्राप्ति | संग्रहण लागत | कर प्राप्ति | संग्रहण लागत | कर प्राप्ति | संग्रहण लागत | कुल कर प्राप्ति | कुल संग्रहण लागत | |
| 1 | 2017–18 | 4464118 | 2434730 | 11800136 | 148316 | 16889545 | 79543 | 165793019 | 1818351 | 198946818 | 4480940 | 2.25 |
| 2 | 2018–19 | 4875714 | 2639385 | 12048504 | 184553 | 17902737 | 86959 | 179445584 | 1623344 | 214272539 | 4534241 | 2.12 |
| 3 | 2019–20 | 5515021 | 3016892 | 12748516 | 201559 | 18370037 | 90293 | 184544901 | 1750690 | 221178475 | 5059434 | 2.29 |
| 4 | 2020–21 | 9377141 | 2968425 | 11480655 | 173456 | 23414111 | 85087 | 184620060 | 1618707 | 228891967 | 4845675 | 2.12 |
| 5 | 2021–22 | 9000000 | 3946940 | 16000000 | 374802 | 27000000 | 114875 | 223000000 | 2370963 | 275000000 | 6807580 | 2.48 |
| औसत | | | | | | | | | | | | 2.25 |

स्रोत – छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न वर्षो के बजट

अनुलग्नक - 3.2

## समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में राज्य की स्वयं की आय में से सीधे स्थानीय निकायों को वास्तविक अंतरित राशि का विवरण

(राशि हजार रू. में)

| स. क्र. | वर्ष | ग्रामीण स्थानीय निकाय | नगरीय स्थानीय निकाय | | | योग | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अंतरण | शुल्क, अंतरण एवं अन्य प्राप्तियां | प्रवेश कर से अनुदान | एफ.एल. लाईसेंस फीस से अनुदान | | |
| 1 | 2017—18 | 0 | 690000 | 12042000 | 355000 | 13087000 | 13087000 |
| 2 | 2018—19 | 247209 | 490151 | 7915240 | 127557 | 8532948 | 8780157 |
| 3 | 2019—20 | 554430 | 713450 | 10000000 | 171000 | 10884450 | 11438880 |
| 4 | 2020—21 | 605658 | 763391 | 10000000 | 171000 | 10934391 | 11540049 |
| 5 | 2021—22 | 700000 | 1024537 | 9680000 | 188100 | 10892637 | 11592637 |
| | योग | **2107297** | **3681529** | **49637240** | **1012657** | **54331426** | **56438723** |

अनुलग्नक - 3.3

## राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि का आंकलन

(राशि हजार रू. में)

| स. क्र. | वर्ष | राज्य की स्वयं के करों से आय | संग्रहण लागत | स्वयं की कर आय से समनुदेशिक प्राप्तियों के रूप मे स्थानीय निकायों को सीधे हस्तांतरण | राज्य की स्वयं की करों से प्राप्त शुद्ध आय | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को अंतरण हेतु पात्र राशि | प्रतिशत | वास्तविक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **2017-18** | 198946818 | 4480940.00 | 13087000 | 181378878.00 | 14510310.24 | 8 | 1387.27 | 7.65 |
| 2 | **2018-19** | 214272539 | 4534241.00 | 8780157 | 200958141.00 | 16076651.28 | 8 | 1138.83 | 5.67 |
| 3 | **2019-20** | 221178475 | 5059434.00 | 11438880 | 204680161.00 | 16374412.88 | 8 | 1069.20 | 5.22 |
| 4 | **2020-21** | 228891967 | 4845675.00 | 11540049 | 212506243.00 | 19125561.87 | 9 | 1059.54 | 4.99 |
| 5 | **2021-22** | 270837300 | 6807580.00 | 11592637 | 252437083.00 | 22719337.00 | 9 | 1331.71 | 5-19 |
| **योग** | | **1134127099** | **25727870.00** | **56438723.00** | **1051960506.00** | **88806273.27** | | **5986.55** | |

*2017.2018 से 2019–2020 तक द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 8% की दर से

*2020–2021 से 2021–2022 तक तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 9% की दर से

स्रोत – छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न वर्षो के बजट पत्र

अनुलग्नक - 3.4

## तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की कृत कार्यवाही प्रतिवेदन(ATR)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.35 | आयोग की अनुशंसा है कि पेसा क्षेत्र में स्थापित समितियों के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के मध्य प्रभावी समन्वय के लिये राज्य शासन द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश/आदेश जारी किये जाने चाहिये। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | **तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (ATR)**<br>पेसा अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन हेतु बनाये जा रहे छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2021 में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 46 के अंतर्गत गठित स्थायी समितियों को ग्राम सभा के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त किसी ᴕ ी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर किसी अन्य समितियों के गठन नहीं कर सकने का प्रावधान रखा गया है। |
| 2. | 4.40 | छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 15.12.2016 को रखी गई थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि पंचायतों को दिये जाने वाले अनुसूचित 29 विषयों को अधिकांश शासकीय विभागों द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है। कुछ विभागों द्वारा पहल की गई है, परन्तु उनके द्वारा कोष और पदाधिकारियों का हस्तांतरण अब तक नहीं किया गया है। अतः आयोग का यह मत है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अधिसूचित कार्यकलाप चित्रण का पूरी शिद्दत के साथ पालन किया जाय। आयोग की अनुशंसा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाय, जो पंचायती राज संस्थाओं को निधियों कार्यों एवं कर्मियों के प्रत्यायोजन/अंतरण की पूरी प्रक्रिया को इस तरह देखे कि जिससे स्थानीय शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिये उपचारात्मक और सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव दे सके। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | **अनुलग्नक – 3.4**<br>अधिकारों का विकेन्द्रीकरण के संबंध में 29 विभागों को पत्र का लेख किया गया है। वर्तमान समय में विभागों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के लिये 29 विषयों को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 4.41 | आयोग अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ शासन कार्यकलाप चित्रण की प्रक्रिया को समयबद्ध रीति से पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | पंचायत ए वं ग्रामीण विकास विभाग | ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों के 29 विषयों से संबंधित प्राथमिकता के गतिविधियों का चयन कर लक्ष्य पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। |
| 4. | 5.16 | आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारियों के पद रिक्त होने से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उनकी सेवाओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता है। आयोग की अनुशंसा है कि रिक्त पदों की पूर्ति की जाय एवं उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं आधारभूत सहायता उपलब्ध कराई जाय। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | वर्तमान में आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारी के 1667 स्वीकृत पद के विरूद्ध 830 पद ही भरे हुए है। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से पृथक होकर पंचायत संचालनालय के गठन पश्चात् छत्तीसगढ़ पंचायत तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम नहीं बन पाने के कारण उक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। भर्ती नियम के प्रस्ताव वर्ष 2020 से सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग में लंबित है। |
| 5. | 5.27 | आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अतिरिक्त कर्मी की नियुक्ति की जानी चाहिये, जिसे लेखों एवं कम्प्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान हो। | वित्तीय भार के दृष्टिगत चरणबद्ध प्रक्रिया में पंचायतों के राजस्व अर्जन के आधार पर सहमति दी गई है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | पूर्व में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजनांतर्गत प्रदेश के 7043 ग्राम पंचायतों में 5000/– रूपये प्रतिमाह के मानदेय में पंचायत सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की भर्ती की गई थी। उक्त योजना समाप्त होने के पश्चात् बजट के अभाव में उक्त पदों को निरंतर नहीं किया जा सका। वर्तमान में आरजीएसए योजनांतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाने हेतु प्रतिमाह 50,000/– रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। |
| 6. | 5.28 | आयोग की अनुशंसा है कि कुछ पंचायतों में पायलेट परियोजना के रूप में ग्राम सभा की कार्यवाही की "वायस रिकार्डिंग" की जा सकती है। इससे ग्राम सभा के क्रियाकलापों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | ग्राम सभा आयोजन हेतु राज्य/जिला स्तर से जारी किये जाने वाले निर्देशों के तहत् ग्राम सभा की कार्यवाही का वायस रिकार्डिंग हेतु निर्देश जारी किया जा सकता है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 5.33 | आयोग की अनुशंसा है कि प  चायती राज संस्थाओं को और अधिक कोषों का आबंटन पारदर्शी तथा मानक आधार पर किया जाना चाहिए। | निर्धारित कोषों का पारदर्शी तथा मानक आधार पर आबंटन हेतु सहमति दी गई है। | • वित्त विभाग<br>• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | आयोग की अनुशंसा है कि अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 में पंचायती राज संस्थाओं लिए 6 .91 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किये जाने का अनुशंसा है जो वर्तमान मे अनुदान राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं हो रहा है। उसे आयोग के अनुशंसा के आधार पर प्रदाय किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पारदर्शिता हेतु केन्द्र शासन के योजनाओं के भांति राज्य वित्त आयोग के अनुशसा से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशि को पीएफएमएस के माध्यम से हस्तांतरित किया जाना चाहिए। |
| 8. | 6.9 | तृतीय राज्य वित्त आयोग पुन : अनुशंसा करता है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल–जल योजना हेतु दिये जाने वाले अनुदान को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जाय एवं वर्ष में दो बार अनुदान उपलब्ध कराया जाय। राज्य शासन अनुशंसा के अनुपालन को भी सुनिश्चित कराएँ। | वर्ष में दो बार अनुदान देने का पालन किया जा रहा है। दो–दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षण की अनुशंसा को मान्य किया गया है। | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | |
| 9. | 6.30 | आयोग की अनुशंसा है कि सभी 146 जनपद पंचायतों को अधोसंरचना विकास एवं स्थानीय आवश्यकताओं के लिये अधिनिर्णय अवधि में रूपये 20 .00 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाय। 75 प्रतिशत सहायता अनुदान अधोसंरचना संबंधी कार्यो के लिये एवं 25 प्रतिशत सहायता अनुदान स्थानीय आवश्यकताओं के लिये अनाबद्ध रखा जाय। राज्य सरकार अनाबद्ध सहायता अनुदान के लिये उचित दिशा–निर्देश जारी करें। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | • वित्त विभाग<br>• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | आयोग की अनुशंसा के आधार पर जनपद पंचायत विकास निधि योजना वर्ष 2017–18 से प्रारंभ की गई, जिसमें प्रति जनपद पंचायत 50.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रति जनपद पंचायत 20 .00 लाख रूपये की राशि प्रदान की जा रही है।<br><br>वर्ष 2022–23 से इस योजना के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए जनपद अध्यक्ष के लिए 5.00 लाख, उपाध्यक्ष के लिए 3.00 लाख जनपद सदस्य के लिए 2 .00 लाख रूपये निधि का प्रावधान रखते हुए उक्त मद में 65.42 करोड़ का बजट आबंटन दिया गया है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 7.4 | आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक गॉव में कम से कम एक तालाब निस्तारी प्रयोजन के लिये आरक्षित रखा जाना चाहिए और मत्स्य पालन के उद्देश्य के लिये पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | वर्तमान में प्रत्येक गॉंव में एक तालाब निस्तारी के प्रयोजन के लिए आरक्षित रखने के पश्चात् ही शेष तालाब को लीज अथवा पट्टे पर दिया जाता है। |
| 11. | 7.18 | आयोग की अनुशंसा है कि कर वसूली की वर्तमान प्रक्रिया में स्व–सहायता समूह एवं अन्य समूह को जोड़े जाने की परम्परा को और विकसित किया जाना चाहिए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा–77 के अनुसार ग्राम पंचायतों में अनिवार्य, वैकल्पिक एवं अन्य फीस आरोपित किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त करों की वसूली ग्राम – पंचायतों के माध्यम से की जा रही है। उक्त करों की वसूली की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्व–सहायता समूहों को जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है। |
| 12. | 7.28 | आयोग अनुशंसा करता है कि शासन योजनाओं की संख्या न्यूनतम करे जिससे कोषों का अपव्यय नियंत्रित किया जा सके और लक्ष्य एवं संभावित परिणामों में स्पष्टता आ सके। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | • वित्त विभाग<br>• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण, पंचायत पुरस्कार योजनाओं को बंद करने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को पुरस्कार एवं प्रशिक्षण हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना रास्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अन्तर्गत किया जा रहा है। |
| | | | | • नगरीय प्रशासन विभाग | राज्य शासन द्वारा वर्तमान में 25 राज्य प्रवर्तित योजना से संचालित की जा रही है। समीक्षा उपरांत उद्देश्य पूर्ण होने पर इन योजनाओं को समाप्त करने पर विचार किया जायेगा। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 10.17 | आयोग की अनुशंसा है कि राज्य को पंचायतों के लिये ई–गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में योजना तैयार करनी चाहिए एवं ई–लोकल गवर्नेंस प्रणाली की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये एक समग्र योजना बनानी चाहिए। | समग्र योजना बनाने की अनुशंसा को मान्य किया गया है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी करने हेतु भारत सरकार द्वारा तैयार ई–ग्राम स्वराज पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतों की मूलभूत जानकारी, वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, ऑडिट आदि समस्त कार्य किये जा रहे है। |
| 14. | 11.8 | आयोग की यह अनुशंसा है कि नगर पंचायतों का गठन 10,001 से 30,000 तक जनसंख्या वाले नगरों, नगर पालिक परिषद का गठन 30,001 से 2,00,000 जनसंख्या तक एवं नगर पालिक निगम का गठन 2,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में किया जाये। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28/02/2003 के अनुरूप नगरीय निकायों का गठन 2001 की जनसंख्या पर आधारित था। वर्तमान में जनगणना वर्ष 2021 के आंकड़े प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा, उच्च स्तर पर पूर्व में जारी अधिसूचना के सशोधन हेतु प्रस्तावित किया जायेगा। |
| 15. | 11.8 | आयोग की यह भी अनुशंसा है कि पंचायत शब्द के उपयोग से होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए 'नगर पंचायत' का नाम 'नगर परिषद' किया जाए | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | सहमत है विचारण में लिया जा सकता है, पूर्व में प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात छ.ग. न.पा. अधिनियम 1961 में सशोधन हेतु विधि विभाग से परिमार्जन पश्चात् वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, इसके पश्चात् आगामी कार्यवाही नहीं की गयी। |
| 16. | 11.19 | नगरीय स्थानीय निकायों के प्रशासन में अपर्याप्त एवं अप्रशिक्षित कर्मियों के कारण गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आयोग की अनुशंसा है कि राज्य शासन इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाते हुए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त एवं कुशल कर्मियों की व्यवस्था करे। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | विभाग के अधिकारियों को छ .ग. प्रशासन अकादमी ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा क्षेत्रीय पर्यावरण एवं अध्ययन केन्द्र लखनऊ, आ.ई. एल.एस.जी.डी. एवं आस्की हैदराबाद सहित देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जाता है साथ ही एक्सपोजर टूर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/ कर्मचारियों को भेजा जाता है।<br>व्यापम और लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जाती है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 11.20 | आयोग की यह अनुशंसा है कि वर्तमान संवर्ग को व्यवस्थित किया जाए। जहां आवश्यकता हो वहां नये संवर्ग का गठन किया जाए यथा–लेखा, राजस्व, पर्यावरण, इंजीनियरिंग एवं नगरीय नियोजन जिससे नगरीय प्रशासन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जा सके। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | विभाग में राज्य नगर पालिका सेवा (कार्यपालन), राज्य नगर पालिका सेवा (यांत्रिकी) और राज्य नगर पालिका सेवा (स्वास्थ्य) का गठन है। नगर निवेशक का पद नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। सहायक नगर निवेशक का पद सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। लेखा, राजस्व, पर्यावरण संवर्ग के गठन हेतु विचार किया जायेगा । |
| 18. | 11.21 | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 11 मई 2011 छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व (विनिमायक आयोग की स्थापना) अधिनियम 2011 जारी किया गया है, परन्तु अब तक यह कार्यशील नहीं हो सका है। आयोग अनुशंसा करता है कि छ त्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व विनिमायक आयोग को कार्यशील किया जावे। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु कलेक्टर गाइड लाईन के अनुसार करने के लिए नवीन नियम 2021 में प्रभावशील किया गया है पहले भवन/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर किया जाता था। |
| 19. | 12.17 | आयोग का यह अवलोकन है कि तेजी से विकसित हो रहे छत्तीसगढ़ के नगर जैसे – रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर में बहुमंजलीय इमारतों की भारी कमी है। ऊंची लागत की भूमि का उचित आर्थिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्नत अधोसंरचना, सेवा प्रदाय करना, सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सम्पूर्ण तंत्र की कार्यक्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक होगा। आयोग की यह अनुशंसा है कि सभी बड़े शहरों में कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) सभ ी प्रयोजनों हेतु बढ़ाया जाना चाहिए। | आवास एवं पर्यावरण विभाग के अभिमत से सहमत। अनुशंसा मान्य किया गया है। | नगरीय प्रशासन विभाग | नगरीय निकायों में बहुमंजिला इमारतों एवं कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) के लिए नगर तथा ग्राम निवेश के मापदण्डों (भूमि विकास नियम) के अनुसार अनुज्ञा दी जाती है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 13.6 | शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक पूजा स्थल या सार्वजनिक परोपकारी, विधवा या अवयस्क या निःशक्तजन, मानसिक रूप से अक्षम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सेना के सदस्य एवं उनकी विधवाएं, दृष्टिहीन, परित्यक्त महिलाएं एवं मानसिक रूप से असंतुलित, छत्तीसगढ, विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये खम्भे और ऐसे अन्य मामले जिनमें राज्य शासन ने छूट देने का निर्णय लिया हो, को कर से छूट प्राप्त है। कुछ प्रकरणों में यह छूट शर्तों के साथ है। आयोग अनुशंसा करता है कि शासन को नगर पालिक निगम अधिनियम एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम में प्रावधानित छूटों पर पुर्नविचार करना चाहिए और 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार उन्हें हटाने या तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। | विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | अधिनियम में प्रावधानित छूट तर्कसंगत है। |
| 21. | 13.10 | आयोग अनुशंसा करता है कि सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई. ऐप स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रारंभ में यह प्रणाली नगर पालिक निगमों में लागू की जा सकती है कालांतर में इसे अन्य नगरीय स्थानीय निकायों में भी लागू किया जा सकता है। | विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा क्रमशः प्रभावशील करने की सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | 65 निकायों में ऑनलाईन भुगतान की सुविध ा उपलब्ध है। पेमेंन्ट गेटवे द्वारा भुगतान लिया जाता है, शेष निकायों में भी की जाने की प्रकिया प्रगति पर है। |
| 22. | 13.10 | आयोग अनुशंसा करता है कि समय पर और अग्रिम सम्पत्ति कर का भुगतान करने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना चाहिए और इसका वि स्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। इससे प्रभावी एवं अधिक कर राजस्व की वसूली संभव हो सकेगी। | विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर विचार करने की सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | नगर पालिक निगमों में यह व्यवस्था लागू है, छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 में निगमों को संपत्तिकर में छूट बाबत अधिकार दिये गये हैं। |
| 23. | 13.16 | आयोग यह अनुशंसा करता है कि अधिकतम दोहन की संभावना वाले बड़े नगरीय स्थानीय निकायों में विज्ञापन/होंडिंग कर का उपयोग राजस्व बढ़ाने में किया जाए। नग रीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए विज्ञापन कर लगाने हेतु दिशा–निर्देश तैयार किया जाए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | प्रदेश में होर्डिंग पॉलिसी लागू है, उपविधि को अंगीकृत कर सकते हैं। विज्ञापन कर का पृथक से प्रावधान नहीं है। होर्डिंग पॉलिसी में विज्ञापन फीस सम्मिलित है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 13.29 | आयोग यह अनुशंसा करता है कि स्थानीय नगरीय निकायों को अपनी क्रेडिट रेटिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उन्हें अपनी ऋण पात्रता की सीमा मालूम हो तथा वे वित्तीय बाजार से ऋण लेने के लिए योग्य बन सके। | विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | 9 अमृत शहरों के लिये वर्ष 2016–17 में इकरा (Intional Information and Credit Rating Agency) से क्रेडिट रेटिंग कराई गई थी। |
| 25. | 13.31 | आयोग अनुशंसा करता है कि पर्याप्त संख्या में लेखापालों की पदस्थापना सभी नगरीय स्थानीय निकायों में की जाए और एक निश्चित समय–सीमा में अधिकारियों की आंतरिक क्षमता का विकास किया जाए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | व्यापम के माध्यम से 84 लेखापाल की भर्ती की गई है तथा पुनः रिक्त 50 लेखापाल भर्ती के लिए सहमति ली गई है। |
| 26. | 13.32 | आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों को परिसंपत्तियों का स्कंध लेने के लिए एकबार ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिसमें सभी नगरीय स्थानीय निकायों के लिए एक मानक प्रारूप बनाया जा सके। इस प्रारूप में संपत्तियों की भौतिक स्थिति, संख्यांक और उनका पूरा विवरण सम्मिलित होगा। इसके संचालन के लिए एक मानक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे ऐसे स्कंधों का अभिलेखीकरण एवं व्यवस्थापन का कार्य प्रत्येक नगरीय निकाय में निश्चित समयावधि में अद्यतन किया जा सके। ऐसे अभिलेख को बनाए रखने और उसे अद्यतन करने की जिम्मेदारी निर्दिष्ट अधिकारी को दी जानी चाहिए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | सहमत निरंतर अद्यतन कराया जा रहा है। |
| 27. | 13.36 | आयोग यह अनुशंसा करता है कि भूमि से हो सकने वाली आय यथा–परिवर्तन (व्यपवर्तन) शुल्क, सुधार शुल्क, विकास शुल्क आदि के स्रोत का विवरण दर्शाते हुए उपलब्ध भूमि की सूची बनाई जाए। कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) पर एक निर्धारित सीमा के ऊपर शुल्क आदि का निर्धारण संपूर्ण योजना के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत रहते हुये इसे एक पारदर्शी एवं उत्तरदायी तंत्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे भूमि मूल्यांकन आधारित स्रोत का शहरी अधोसंरचना की परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोग किया जा सके। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | भूमि से हो सकने वाली आय यथा परिवर्तन शुल्क, सुधार शुल्क, विकास शुल्क आदि से संबंधित विषय नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित है । विभाग समन्वय के अनुशंसा पर कार्यवाही हेतु सहमत है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 13.40 | आयोग यह अनुशंसा करता है कि वार्ड एवं मोहल्ला समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी समितियाँ जिन्होनें सम्पत्ति कर की चालू मांग के 90 प्रतिशत तक वसूली में योगदान दिया हो के लिए उस राशि का 20 से 25 प्रतिशत तक सुरक्षित रखा जाये। यह राशि इन मोहल्ला समितियों द्वारा सुझाये गये अधोसंरचना या अन्य सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी। नागरिक समुदायों में इससे सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा न सिर्फ आय के साधनों को गतिशील बनाने में वरन् विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। आयोग का यह मत है कि इससे सक्रिय भागीदारी की संस्कृति पैदा होगी जो दीर्घकाल में सतत् विकास में सहायक होगी। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | |
| 29. | 15.7 | आयोग की अनुशंसा है कि संचालक, नगरीय प्रशासन और विकास द्वारा सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का अभिलेखीकरण एवं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उनका अंगीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | |
| 30. | 16.4 | आयोग की अनुशंसा है कि चरणबद्ध तरीके से स्थानीय निकायों के सभी कार्यक्षेत्रों में ई–गवर्नेंस का उपयोग अविलंब प्रारंभ किया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को ई–गवर्नेंस में प्रशिक्षित किया जाए। जिससे प्रभावी डाटा प्रबंधन, योजना और विकास कार्यों की गति बढ़ेगी तथा नागरिकों के साथ बेहतर अंतर्सबंध स्थापित होंगे, जो प्रभावी सामुदयिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। | चरणबद्ध तरीके से ई–गवर्नेंस की प्रणाली कर उपयोग प्रारंभ करने की सहमति दी गई है। | नगरीय प्रशासन विभाग | |
| 31. | 16.7 | आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायती राज संस्थाओं में संचालित सभी केन्द्रीय एवं राज्य शासन की योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पंचायत की वेबसाईट के माध्यम से जनसुलभ होना चाहिए। | आयोग की अनुशंसा से सहमति दी गई है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 16.8 | आयोग की अनुशंसा है कि सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एकीकृत जिला विकास योजना बनाई जानी चाहिए और इसे राज्य की विकास योजना के साथ समन्वित किया जाना चाहिए | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | |
| | 16.9 | यह आयोग पूर्व के आयोगों की अनुशंसा को दोहराता है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्ड समितियों का गठन कर इन्हें सक्रिय किया जाना चाहिए। | | नगरीय प्रशासन विभाग | छ.ग. न.पा.नि. अधिनियम की धारा 67 तथा न.पा. अधिनियम की धारा 124 'ख' में जिला विकास योजना तथा वार्षिक योजना बनाने हेतु प्रावधान है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिय पत्र दिनांक 28/12/2021 एकीकृत जिला विकास योजना तथा पत्र दिनांक 08/11/2021 के द्वारा वार्षिक – योजना बनाने के निर्देश दिये गये हैं । |
| 33. | 16.10 | आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय स्थानीय निकायों को अधोसंरचना विकसित करने और आय अर्जित करने वाली योजनाओं के लिए भविष्य में उपलब्ध कराई जा सकने वाली रिक्त भूमि को चिन्हांकित, सूचीबद्ध एवं दस्तावेजीकरण कर जिला प्रशासन द्वारा एक भूमि बैंक बनाया जाना चाहिए जिससे भूमि की मांग आने पर स्थानीय निकायों को भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जा सके। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। | राजस्व विभाग | |
| 34. | 16.11 | आयोग अनुशंसा करता है कि सामान्यतः अंतरिम अनुमानों से बचने के लिये उचित समय पर, अगले वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के प्रारंभ होने से कम से कम दो वर्ष पूर्व राज्य वित्त आयो ग का गठन किया जाना चाहिये। | तृतीय राज्य वित्त आयोग की इन अनुशंसाओं को आयोग के निदेश पद (टीओआर) में निर्धारित अवधि 2017–18 से 2021–22 के स्थान पर अवधि 2020–21 से आगामी पांच वर्षों के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि (क) 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है कि एसएफसी रिर्पोटों का सामंजस्य (synchronous) राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ हो। (ख) साथ ही तृतीय राज्य वित्त आयोग का अधिनिर्णय अवधि (2017–18 से 2021–22) में से वर्ष 2017–18 बीत चुका है, और वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 का बजट पारित होकर लगभग आधे वित्त वर्ष तक कार्यन्वित हो चुका है।<br>अतः उपरोक्त के प्रकाश में तृतीय राज्य वित्त आयोग की राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग की कालावधि की समवर्ती अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 पांच वर्ष की कालावधि के लिये मान्य करने की आवश्यकता होगी। **साथ ही** यह कालावधि मान्य होने की स्थिति में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की **अधिनिर्णय अवधि 2012–17 के लिये** राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिये विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | आयोग की अनुशंसा है कि अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 में पंचायती राज संस्थाओं लिए 6.91 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किये जाने का अनुशंसा है जो वर्तमान में अनुदान राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं हो रहा है। उसे आयोग के अनुशंसा के आधार पर प्रदाय किया जाना चाहिए। |
| 35. | 16.12 | आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य वित्त आयोग के गठन के साथ ही वित्त विभाग के वित्त आयोग प्रकोष्ठ में कार्यरत वर्ग 2, 3 और 4 कर्मचारियों को राज्य वित्त आयोग कार्यालय में संलग्न किया जाना चाहिये। | | वित्त विभाग | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 17.18 | तृतीय राज्य वित्त आयोग यह अनुशंसा करता है, कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 9 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को दिए जाए। | तृतीय राज्य वित्त आयोग की इन अनुशंसाओं को आयोग के निदेश पद (टीओआर) में निर्धारित अवधि 2017–18 से 2021–22 के स्थान पर अवधि 2020–21 से आगामी पांच वर्षो के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि (क) 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है कि एसएफसी रिर्पोटों का सामंजस्य (synchronous) राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ हो। (ख) साथ ही तृतीय राज्य वित्त आयोग का अधिनिर्णय अवधि (2017–18 से 2021–22) में से वर्ष 2017–18 बीत चुका है, और वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 का बजट पारित होकर लगभग आधे वित्त वर्ष तक कार्यन्वित हो चुका है।<br>अतः उपरोक्त के प्रकाश में तृतीय राज्य वित्त आयोग की राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग की कालावधि की समवर्ती अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 पांच वर्ष की कालावधि के लिये मान्य करने की आवश्यकता होगी। **साथ ही** यह कालावधि मान्य होने की स्थिति में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की **अधिनिर्णय अवधि 2012–17 के लिये** राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिये विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। | नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग | नगरीय निकायों को वर्तमान में राज्य के शुध्द कर से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार 1.85 प्रतिशत उपलब्ध कराया जा रहा है। तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को आबंटन प्रदाय किया जाए। |
| 37. | 17.19 | आयोग की अनुशंसा है कि अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए क्रमषः 6.91 प्रतिशत एवं 2.09 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किया जाए। | | नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग | तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को यदि 9 प्रतिशत शुध्द कर का भुगतान किया जाता है तो नगरीय निकायों को प्राप्त होने वाले 2.09 प्रतिशत का आबंटन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जाना उचित होगा। |

**अनुलग्नक - 6.1**

| प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र. | जिले का नाम | पंचायती राज संस्थाओं की संख्या | | |
| | | जिला पंचायत | जनपद पंचायत | ग्राम पंचायत |
| 1 | रायपुर | 1 | 4 | 416 |
| 2 | महासमुन्द | 1 | 5 | 551 |
| 3 | धमतरी | 1 | 4 | 370 |
| 4 | दुर्ग | 1 | 3 | 304 |
| 5 | राजनांदगांव | 1 | 9 | 814 |
| 6 | कबीरधाम | 1 | 4 | 468 |
| 7 | बस्तर | 1 | 7 | 433 |
| 8 | नारायणपुर | 1 | 2 | 104 |
| 9 | दंतेवाड़ा | 1 | 4 | 143 |
| 10 | बीजापुर | 1 | 4 | 170 |
| 11 | कांकेर | 1 | 7 | 454 |
| 12 | बिलासपुर | 1 | 4 | 483 |
| 13 | गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही | 1 | 3 | 166 |
| 14 | कोरबा | 1 | 5 | 412 |
| 15 | जांजगीर–चांपा | 1 | 9 | 657 |
| 16 | रायगढ़ | 1 | 9 | 774 |
| 17 | सरगुजा | 1 | 7 | 439 |
| 18 | जशपुर | 1 | 8 | 444 |
| 19 | कोरिया | 1 | 5 | 363 |
| 20 | बलौदाबजार | 1 | 6 | 644 |
| 21 | गरियाबंद | 1 | 5 | 336 |
| 22 | बेमेतरा | 1 | 4 | 429 |
| 23 | बालोद | 1 | 5 | 435 |
| 24 | मुंगेली | 1 | 3 | 370 |
| 25 | कोंडागांव | 1 | 5 | 383 |
| 26 | सुकमा | 1 | 3 | 153 |
| 27 | सूरजपुर | 1 | 6 | 481 |
| 28 | बलरामपुर | 1 | 6 | 468 |
| **योग** | | **28** | **146** | **11664** |

स्रोत :– पंचायती राज एंव ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

| 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में जिला पंचायतों की औसत जनसंख्या | | |
|---|---|---|
| क्र. | जिला पंचायत | जनसंख्या |
| 1 | धमतरी | 661882 |
| 2 | बीजापुर | 213558 |
| 3 | बालोद | 722569 |
| 4 | बेमेतरा | 721192 |
| 5 | बलरामपुर – रामानुजगंज | 695808 |
| 6 | बलौदाबजार – भाटापारा | 1298534 |
| 7 | कबीरधाम | 730267 |
| 8 | कांकेर | 682135 |
| 9 | कोंडागांव | 530512 |
| 10 | कोरिया | 478150 |
| 11 | कोरबा | 723121 |
| 12 | महासमुन्द | 913614 |
| 13 | मुंगेली | 641468 |
| 14 | बिलासपुर | 1002797 |
| 15 | रायपुर | 860687 |
| 16 | रायगढ़ | 1219077 |
| 17 | राजनांदगांव | 1264614 |
| 18 | सरगुजा | 703424 |
| 19 | सुकमा | 242718 |
| 20 | सूरजपुर | 710753 |
| 21 | दुर्ग | 607015 |
| 22 | दंतेवाड़ा | 221274 |
| 23 | जांजगीर–चांपा | 1394646 |
| 24 | जशपुर | 780263 |
| 25 | नारायणपुर | 116962 |
| 26 | गरियाबंद | 557199 |
| 27 | गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही | 304135 |
| 28 | बस्तर | 611189 |
| | **योग** | **1,96,09,563** |

स्रोत :– पंचायती राज एंव ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

## छत्तीसगढ़ राज्य की जिलेवार अनुसूचित (पेसा) जनपद/ग्राम पंचायत की जानकारी

| क्र. | क्षेत्र | जिले का नाम | कुल जनपद पंचायत | पेसा जनपद पंचायत | पेसा ग्राम पंचायत | जनपद पंचायतवार पेसा ग्राम पंचायतों की संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र वाले जिला | नारायणपुर | 2 | 2 | 104 | नारायणपुर – 68 | ओरछा – 36 | | | | | | |
| 2 | | सुकमा | 3 | 3 | 153 | सुकमा – 33 | छिन्दगढ़ – 59 | कोन्टा – 61 | | | | | |
| 3 | | दंतेवाड़ा | 4 | 4 | 143 | दंतेवाड़ा – 38 | गीदम – 46 | कटेकल्याण – 26 | कुआकोण्डा– 33 | | | | |
| 4 | | बीजापुर | 4 | 4 | 170 | बीजापुर – 36 | भैरमगढ़ – 60 | भोपालपट्टनम – 35 | उसूर – 39 | | | | |
| 5 | | कोण्डागांव | 5 | 5 | 383 | कोण्डागांव – 125 | बड़ेराजपुर – 49 | माकड़ी – 67 | केशकाल – 69 | फरसगांव – 73 | | | |
| 6 | | कोरबा | 5 | 5 | 412 | कोरबा – 74 | करतला – 78 | कटघोरा – 53 | पाली – 93 | पोड़ी उपरोड़ा – 114 | | | |
| 7 | | कोरिया | 5 | 5 | 363 | बैकुण्ठपुर – 88 | सोनहत – 42 | खड़गवां – 77 | मनेन्द्रगढ़ – 72 | भरतपुर – 84 | | | |
| 8 | | सूरजपुर | 6 | 6 | 481 | सूरजपुर – 108 | भैयाथान – 78 | ओड़गी – 74 | रामानुजनगर – 74 | प्रेमनगर – 46 | प्रतापपुर – 101 | | |
| 9 | | बलरामपुर | 6 | 6 | 468 | बलरामपुर – 75 | रामचन्द्रपुर – 91 | वाड्रफनगर – 95 | शंकरगढ़ – 60 | कुसमी – 77 | राजपुर – 70 | | |
| 10 | | बस्तर | 7 | 7 | 433 | बस्तर – 88 | बास्तानार – 34 | लोहण्डीगुडा – 49 | बकावण्ड – 93 | जगदलपुर – 71 | तोकापाल – 52 | दरभा – 46 | |
| 11 | | कांकेर | 7 | 7 | 454 | कांकेर – 64 | कोयलीबेडा – 103 | अन्तागढ़ – 56 | चारामा – 64 | भानुप्रतापपुर – 52 | नरहरपुर – 71 | दुर्गकोन्दल – 44 | |
| 12 | | सरगुजा | 7 | 7 | 439 | अम्बिकापुर – 101 | लखनपुर – 74 | उदयपुर – 59 | लुण्ड्रा – 77 | बतौली – 42 | मैनपाट – 44 | सीतापुर – 42 | |
| 13 | | जशपुर | 8 | 8 | 444 | जशपुर – 44 | कांसाबेल – 40 | बगीचा – 93 | फरसाबहार – 58 | कुनकुरी – 51 | दुलदुला– 30 | पत्थलगांव – 84 | मनोरा – 44 |
| 14 | | गौ.पे.मा. | 3 | 3 | 166 | मरवाही – 74 | पेण्ड्रा – 41 | गौरेला – 51 | | | | | |
| 15 | आंशिक अनुसूचित क्षेत्र वाले जिला | बालोद | 5 | 1 | 60 | डौण्डी – 60 | | | | | | | |
| 16 | | धमतरी | 4 | 1 | 102 | नगरी – 102 | | | | | | | |
| 17 | | बिलासपुर | 4 | 0 | 85 | कोटा – 85 | | | | | | | |
| 18 | | गरियाबंद | 5 | 3 | 210 | गरियाबंद – 62 | मैनपुर – 74 | छुरा – 74 | | | | | |
| 19 | | राजनांदगांव | 9 | 3 | 185 | मोहला – 57 | मानपुर – 59 | चौकी – 69 | | | | | |
| 20 | | रायगढ़ | 9 | 5 | 377 | खरसिया – 81 | घरघोड़ा – 42 | घरघोड़ा – 42 | तमनार – 61 | लैलूंगा – 75 | धरमजयगढ़ – 118 | | |
| योग | | | 108 | 85 | 5632 | | | | | | | | |

स्रोत :– पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

अनुलग्नक - 6.4

## जिला स्तर पर नगरीय स्थानीय निकायों की संख्या
## (01.07.2022 की स्थिति में)

| क्र. | जिले का नाम | नगरीय निकायों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | नगर पालिक निगम | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत | योग |
| 1 | रायपुर | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | बलौदाबाजार | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | गरियाबंद | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | धमतरी | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | महासमुंद | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | दुर्ग | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | बालो | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | राजनांदगांव | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | बस्तर | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | बिलासपुर | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 11 | कोरबा | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | रायगढ़ | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 13 | सरगुजा | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | बेमेतरा | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 16 | खैरागढ़–छुईखदान–गंडई | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | कवर्धा | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | कोण्डागांव | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | नारायणपुर | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | कांकेर | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 21 | दंतेवाड़ा | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 22 | सुकमा | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | बीजापुर | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | मुंगेली | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | जांजगीर | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 26 | सक्ती | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 27 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 28 | जशपुर | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | बलरामपुर | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 30 | सूरजपुर | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 31 | कोरिया | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | मोहला–मानपुर–चौकी | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | **योग** | **14** | **44** | **112** | **170** |

स्रोत :– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

अनुलग्नक - 6.5

## जनगणना 2011 के अनुसार नगर निगम की जनसंख्या

| क्र. | जिले का नाम | नगर पालिक निगम | जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | रायपुर | रायपुर | 1048120 |
| 2 | | बीरगांव | 96294 |
| 3 | धमतरी | धमतरी | 89860 |
| 4 | दुर्ग | दुर्ग | 267465 |
| 5 | | भिलाई | 516862 |
| 6 | | रिसाली | 108838 |
| 7 | | भिलाईचरोदा | 98008 |
| 8 | राजनांदगांव | राजनांदगांव | 163114 |
| 9 | बस्तर | जगदलपुर | 125463 |
| 10 | बिलासपुर | बिलासपुर | 514144 |
| 11 | कोरबा | कोरबा | 363390 |
| 12 | रायगढ़ | रायगढ़ | 166034 |
| 13 | सरगुजा | अंबिकापुर | 125392 |
| 14 | मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर | चिरमिरी | 85317 |
| | **योग** | | **37,68,301** |

स्रोत :– नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी

अनुलग्नक - 6.6

## जनगणना 2011 के अनुसार नगर पालिका परिषद की जनसंख्या

| क्र. | जिले का नाम | नगर पालिक परिषद | जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | रायपुर | तिल्दानेवरा | 32331 |
| 2 | | गोबरानवापारा | 29315 |
| 3 | | आरंग | 19091 |
| 4 | गरियाबंद | गरियाबंद | 10426 |
| 5 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार | 26632 |
| 6 | | भाटापारा | 57512 |
| 7 | महासमुंद | महासमुंद | 54413 |
| 8 | | बागबाहरा | 19529 |
| 9 | | सरायपाली | 20043 |
| 10 | दुर्ग | जामुल | 25878 |
| 11 | | कुम्हारी | 35054 |
| 12 | | अहिवारा | 20384 |
| 13 | | अमलेश्वर | 10489 |
| 14 | बालोद | बालोद | 23648 |
| 15 | | दल्लीराजहरा | 44363 |
| 16 | बेमेतरा | बेमेतरा | 28536 |
| 17 | राजनांदगांव | डोंगरगढ़ | 37372 |
| 18 | खैरागढ़–छुईखदान–गंडई | खैरागढ़ | 22564 |
| 19 | कवर्धा | कवर्धा | 44205 |
| 20 | कोण्डागांव | कोण्डागांव | 30921 |
| 21 | नारायणपुर | नारायणपुर | 22106 |
| 22 | कांकेर | कांकेर | 27541 |
| 23 | दंतेवाड़ा | किरन्दुल | 18887 |
| 24 | | बड़ी बचेली | 21435 |
| 25 | | दन्तेवाड़ा | 13633 |
| 26 | सुकमा | सुकमा | 13926 |
| 27 | बीजापुर | बीजापुर | 16129 |
| 28 | बिलासपुर | तखतपुर | 19968 |
| 29 | | रतनपुर | 24636 |
| 30 | मुंगेली | मुंगेली | 31250 |
| 31 | कोरबा | दीपका | 27158 |
| 32 | | कटघोरा | 22690 |
| 33 | जांजगीर | जांजगीर–नैला | 40561 |
| 34 | | चांपा | 45256 |
| 35 | | अकलतरा | 22712 |
| 36 | सक्ती | सक्ती | 21955 |
| 37 | रायगढ़ | खरसिया | 18939 |
| 38 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | सारंगढ़ | 24798 |
| 39 | जशपुर | जशपुरनगर | 25422 |
| 40 | बलरामपुर | बलरामपुर | 4456 |
| 41 | सूरजपुर | सूरजपुर | 20189 |
| 42 | मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर | मनेन्द्रगढ़ | 33071 |
| 43 | कोरिया | बैकुण्ठपुर | 29182 |
| 44 | | शिवपुरचरचा | 23514 |
| | **योग** | | **11,62,120** |

स्रोत :– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

अनुलग्नक - 6.7

# जनगणना 2011 के अनुसार नगर पंचायत की जनसंख्या

| जनगणना 2011 के अनुसार नगर पंचायत की जनसंख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | जिले का नाम | नगर पंचायत का नाम | जनसंख्या | क्र. | जिले का नाम | नगर पंचायत का नाम | जनसंख्या |
| 1 | रायपुर | अभनपुर | 14432 | 57 | | नरहरपुर | 4509 |
| 2 | | खरोरा | 9236 | 58 | दंतेवाड़ा | गीदम | 7440 |
| 3 | | माना कैम्प | 11953 | 59 | | बारसूर | 6636 |
| 4 | | कुंरा | 8857 | 60 | सुकमा | दोरनापाल | 7238 |
| 5 | | मंदिरहसौद | 16086 | 61 | | कोण्टा | 6882 |
| 6 | | समोदा | 6907 | 62 | बीजापुर | भैरमगढ़ | 9026 |
| 7 | | चंदखुरी | 3341 | 63 | | भोपालपट्टनम | 4445 |
| 8 | गरियाबंद | राजिम | 14092 | 64 | बिलासपुर | कोटा | 18405 |
| 9 | | फिंगेश्वर | 9752 | 65 | | बोदरी | 17481 |
| 10 | | छुरा | 6079 | 66 | | बिल्हा | 11048 |
| 11 | बलौदाबाजार | सिमगा | 16027 | 67 | | मल्हार | 8505 |
| 12 | | लवन | 8984 | 68 | गौरेला पेण्ड्रा मरवाही | गौरेला | 18165 |
| 13 | | कसडोल | 14071 | 69 | | पेण्ड्रा | 14120 |
| 14 | | पलारी | 8567 | 70 | मुंगेली | लोरमी | 15156 |
| 15 | | टुण्डरा | 8211 | 71 | | पथरिया | 6349 |
| 16 | धमतरी | कुरूद | 13783 | 72 | | सरगांव | 7484 |
| 17 | | मगरलोड | 6280 | 73 | कोरबा | पाली | 5514 |
| 18 | | नगरी | 13308 | 74 | | छुरीकला | 8239 |
| 19 | | भखारा | 7547 | 75 | जांजगीर | बलौदा | 13630 |
| 20 | | आमदी | 6600 | 76 | | खरौद | 10193 |
| 21 | महासमुंद | पिथौरा | 8428 | 77 | | शिवरीनारायण | 9714 |
| 22 | | बसना | 10345 | 78 | | सारागांव | 7225 |
| 23 | | तुमगांव | 7394 | 79 | | नवागढ़ | 8118 |
| 24 | दुर्ग | धमधा | 9961 | 80 | | राहौद | 6160 |
| 25 | | पाटन | 10133 | 81 | सक्ती | नया बाराद्वार | 8840 |
| 26 | | उतई | 8752 | 82 | | अड़भार | 7272 |
| 27 | बालोद | गुण्डरदेही | 8614 | 83 | | जैजेपुर | 7946 |
| 28 | | डोंडी | 8042 | 84 | | डभरा | 7854 |
| 29 | | डौंडीलोहारा | 6045 | 85 | | चन्द्रपुर | 7688 |
| 30 | | गुरूर | 3775 | 86 | रायगढ़ | धर्मजयगढ़ | 14354 |
| 31 | | अर्जुन्दा | 4851 | 87 | | घरघोड़ा | 9455 |
| 32 | | चिखलाकसा | 6160 | 88 | | लैलुंगा | 8208 |
| 33 | बेमेतरा | थानखम्हरिया | 8373 | 89 | | पुसौर | 4744 |
| 34 | | साजा | 5257 | 90 | | किरोड़ीमलनगर | 13102 |
| 35 | | देवकर | 6358 | 91 | सारंगढ़ बिलाईगढ़ | सरिया | 6927 |
| 36 | | बेरला | 5165 | 92 | | बरमकेला | 5600 |
| 37 | | परपोड़ी | 3741 | 93 | | बिलाईगढ़ | 5544 |
| 38 | | नवागढ़ | 10541 | 94 | | भटगांव | 10371 |
| 39 | | मारो | 6596 | 95 | जशपुर | पत्थलगांव | 16613 |
| 40 | खैरागढ़ छुईखदान गण्डई | गण्डई | 13278 | 96 | | कोतबा | 6805 |
| 41 | | छुईखदान | 7093 | 97 | | बगीचा | 10427 |
| 42 | मोहला मानपुर चौकी | अम्बागढ़चौकी | 9889 | 98 | | कुनकुरी | 13846 |
| 43 | राजनांदगांव | डोंगरगांव | 14693 | 99 | सरगुजा | सीतापुर | 9361 |
| 44 | | छुरिया | 4509 | 100 | | लखनपुर | 6270 |
| 45 | कवर्धा | पंडरिया | 16165 | 101 | बलरामपुर | रामानुजगंज | 11893 |
| 46 | | बोड़ला | 5689 | 102 | | कुसमी | 7447 |
| 47 | | पाण्डातराई | 7008 | 103 | | राजपुर | 4838 |
| 48 | | सहसपुर लोहारा | 7017 | 104 | | वाड्रफनगर | 6048 |
| 49 | | पिपरिया | 4859 | 105 | सूरजपुर | विश्रामपुर | 11367 |
| 50 | बस्तर | बस्तर | 10174 | 106 | | प्रतापपुर | 5635 |
| 51 | कोण्डागांव | केशकाल | 10779 | 107 | | भटगांव | 11204 |
| 52 | | फरसगांव | 6306 | 108 | | जरही | 7228 |
| 53 | कांकेर | भानुप्रतापपुर | 8125 | 109 | | प्रेमनगर | 4954 |
| 54 | | चारामा | 9707 | 110 | मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर | झगराखण्ड | 7680 |
| 55 | | पखांजूर | 10201 | 111 | | खोंगापानी | 17400 |
| 56 | | अंतागढ़ | 6777 | 112 | | नई लेदरी | 5333 |
| | | | योग | | | | 10,08,849 |

स्रोत :– पंचायती राज एंव ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जानकारी

# चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श आकार

| चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श आकार | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | जिला | ग्राम पंचायतें | | | गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतें | | | अनुसूचित ग्राम पंचायतें | | |
| | | कुल | सैंपल (प्रतिदर्श) | प्रतिशत | कुल | सैंपल (प्रतिदर्श) | प्रतिशत | कुल | सैंपल (प्रतिदर्श) | प्रतिशत |
| 1 | बस्तर | 433 | 132 | 30.48 | – | – | – | 433 | 132 | 30.48 |
| 2 | बिलासपुर | 483 | 145 | 30.02 | 398 | 145 | 36.4 | 85 | – | – |
| 3 | दंतेवाड़ा | 143 | 83 | 58.04 | – | – | – | 143 | 83 | 58.04 |
| 4 | धमतरी | 370 | 234 | 63.24 | 268 | 175 | 65.30 | 102 | 59 | 57.84 |
| 5 | दुर्ग | 304 | 160 | 52.63 | 304 | 160 | 52.63 | – | – | – |
| 6 | जांजगीर–चांपा | 657 | 378 | 57.53 | 657 | 378 | 57.53 | – | – | – |
| 7 | जशपुर | 444 | 204 | 45.95 | – | – | – | 444 | 204 | 45.95 |
| 8 | कांकेर | 454 | 138 | 30.40 | – | – | – | 454 | 138 | 30.40 |
| 9 | कबीरधाम | 468 | 332 | 70.94 | 468 | 332 | 70.94 | – | – | – |
| 10 | कोरबा | 412 | 176 | 42.72 | – | – | – | 412 | 176 | 42.72 |
| 11 | कोरिया | 363 | 169 | 46.56 | – | – | – | 363 | 169 | 46.56 |
| 12 | महासमुन्द | 551 | 312 | 56.62 | 551 | 312 | 56.62 | – | – | – |
| 13 | रायगढ़ | 774 | 511 | 66.02 | 397 | 294 | 74.06 | 377 | 217 | 57.56 |
| 14 | रायपुर | 416 | 206 | 49.52 | 416 | 206 | 49.52 | – | – | – |
| 15 | राजनांदगांव | 814 | 408 | 50.12 | 629 | 302 | 48.01 | 185 | 106 | 57.30 |
| 16 | सरगुजा | 439 | 251 | 57.15 | – | – | – | 439 | 251 | 57.18 |
| 17 | बीजापुर | 170 | 92 | 54.12 | – | – | – | 170 | 92 | 57.12 |
| 18 | नारायणपुर | 104 | 86 | 82.69 | – | – | – | 104 | 86 | 82.69 |
| 19 | सुकमा | 153 | 48 | 31.37 | – | – | – | 153 | 48 | 31.37 |
| 20 | कोंडागाँव | 383 | 163 | 42.56 | – | – | – | 383 | 163 | 42.56 |
| 21 | बलौदाबाजार | 644 | 290 | 45.03 | 644 | 290 | 45.03 | – | – | – |
| 22 | गरियाबंद | 336 | 100 | 29.76 | 126 | 38 | 30.16 | 210 | 62 | 29.52 |
| 23 | बालोद | 435 | 370 | 85.06 | 375 | 319 | 85.07 | 60 | 51 | 85.00 |
| 24 | मुंगेली | 370 | 202 | 54.59 | 370 | 202 | 54.59 | – | – | – |
| 25 | सूरजपुर | 481 | 279 | 58.00 | – | – | – | 481 | 279 | 58.00 |
| 26 | बलरामपुर | 468 | 219 | 46.79 | – | – | – | 468 | 219 | 46.79 |
| 27 | बेमेतरा | 429 | 162 | 37.76 | 429 | 162 | 37.76 | – | – | – |
| 28 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 166 | 100 | 60.24 | – | – | – | 166 | 100 | 60.24 |
| योग | | **11664** | **5950** | **51.01** | **6032** | **3315** | **54.95** | **5632** | **2635** | **46.78** |

स्रोत :– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

**अनुलग्नक - 7.2**

## ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता

| क्र. | जिला | राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति | | गैर–अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | | अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शौचालय वाले घरों की प्रतिशतता | ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता का प्रतिशत | शौचालय वाले घरों की प्रतिशतता | ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता का प्रतिशत | शौचालय वाले घरों की प्रतिशतता | ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता का प्रतिशत |
| 1 | बस्तर | 94.13 | 79.55 | – | – | 94.13 | 79.55 |
| 2 | बिलासपुर | 87.13 | 73.10 | 87.09 | 73.10 | – | – |
| 3 | दंतेवाड़ा | 65.36 | 96.39 | – | – | 65.36 | 96.39 |
| 4 | धमतरी | 94.58 | 97.44 | 93.33 | 98.29 | 98.82 | 94.92 |
| 5 | दुर्ग | 97.06 | 98.13 | 97.06 | 98.13 | – | – |
| 6 | जांजगीर–चांपा | 50.96 | 65.34 | 50.96 | 65.34 | – | – |
| 7 | जशपुर | 98.67 | 92.16 | – | – | 98.67 | 92.16 |
| 8 | कांकेर | 94.23 | 81.88 | – | – | 94.23 | 81.88 |
| 9 | कबीरधाम | 88.31 | 78.61 | 88.31 | 78.61 | – | – |
| 10 | कोरबा | 90.38 | 78.98 | – | – | 90.38 | 78.98 |
| 11 | कोरिया | 89.29 | 68.64 | – | – | 89.29 | 68.64 |
| 12 | महासमुन्द | 96.45 | 79.49 | 96.45 | 79.49 | – | – |
| 13 | रायगढ़ | 86.25 | 68.30 | 84.68 | 59.86 | 88.40 | 79.72 |
| 14 | रायपुर | 94.30 | 74.27 | 94.30 | 74.27 | – | – |
| 15 | राजनांदगांव | 96.68 | 80.39 | 96.39 | 80.13 | 97.54 | 81.13 |
| 16 | सरगुजा | 89.70 | 89.24 | – | – | 89.70 | 89.24 |
| 17 | बीजापुर | 41.06 | 52.17 | – | – | 41.06 | 52.17 |
| 18 | नारायणपुर | 72.54 | 79.07 | – | – | 72.54 | 79.07 |
| 19 | सुकमा | 55.49 | 81.25 | – | – | 55.49 | 81.25 |
| 20 | कोंडागाँव | 94.46 | 65.64 | – | – | 94.46 | 65.64 |
| 21 | बलौदाबाजार | 88.02 | 86.90 | 88.02 | 92 | – | – |
| 22 | गरियाबंद | 92.92 | 89.00 | 93.47 | 97.37 | 92.53 | 83.87 |
| 23 | बालोद | 95.44 | 73.51 | 95.26 | 71.79 | 96.60 | 84.31 |
| 24 | मुंगेली | 83.43 | 78.71 | 83.43 | 78.71 | – | – |
| 25 | सूरजपुर | 94.46 | 82.80 | – | – | 94.46 | 82.80 |
| 26 | बलरामपुर | 88.66 | 58.45 | – | – | 88.66 | 58.45 |
| 27 | बेमेतरा | 93.20 | 81.48 | 93.20 | 81.48 | – | – |
| 28 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 86.73 | 87.00 | – | – | 86.73 | 87.00 |
| | **योग** | **85.02** | **78.22** | **82.63** | **77.56** | **88.82** | **79.05** |

स्रोत :– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

# अनुलग्नक - 7.3

## ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में नल जल योजना की स्थिति

आंकड़े प्रतिशत (%) रूप में

| क्र. | जिला | राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | | | गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | | | अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नल जल वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | नल जल योजना है, पर चालु नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | नल जल योजना चालु नहीं होने का कारण | | | नल जल वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | नल जल योजना है, पर चालु नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | नल जल योजना चालु नहीं होने का कारण | | | नल जल वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | नल जल योजना है, पर चालु नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | नल जल योजना चालु नहीं होने का कारण | | |
| | | | | बिजली बिल का अ–भुगतान | सुधार राशि की अनुप लब्धता | अन्य कारण | | | बिजली बिल का अ–भुगतान | सुधार राशि की अनुप लब्धता | अन्य कारण | | | बिजली बिल का अ–भुगतान | सुधार राशि की अनुप लब्धता | अन्य कारण |
| 1 | बस्तर | 71.2 | 26.6 | 48 | 36.0 | 24 | – | – | – | – | – | 71.2 | 26.6 | 48 | 36 | 24 |
| 2 | बिलासपुर | 46.2 | 25.4 | 82.3 | 52.9 | 35.3 | 46.2 | 25.4 | 82.3 | 52.9 | 35.3 | – | – | – | – | – |
| 3 | दंतेवाड़ा | 28.9 | 41.7 | 30 | 30 | 80 | – | – | – | – | – | 28.9 | 41.7 | 30 | 30 | 80 |
| 4 | धमतरी | 87.6 | 14.6 | 46.7 | 40 | 30 | 94.3 | 11.5 | 52.6 | 47.4 | 26.3 | 67.8 | 27.5 | 36.4 | 27.3 | 36.4 |
| 5 | दुर्ग | 76.2 | 21.3 | 15.4 | 23.1 | 76.9 | 76.2 | 21.3 | 15.4 | 23.1 | 76.9 | – | – | – | – | – |
| 6 | जांजगीर–चांपा | 57.9 | 45.2 | 37.4 | 34.3 | 46.5 | 57.9 | 45.2 | 37.4 | 34.3 | 46.5 | – | – | – | – | – |
| 7 | जशपुर | 34.8 | 26.8 | 31.6 | 36.8 | 73.7 | – | – | – | – | – | 34.8 | 26.8 | 31.6 | 36.8 | 73.7 |
| 8 | कांकेर | 13.5 | 53.8 | 51.4 | 28.6 | 37.1 | – | – | – | – | – | 47.1 | 53.8 | 51.4 | 28.6 | 37.1 |
| 9 | कबीरधाम | 50 | 43.4 | 45.8 | 52.8 | 37.5 | 50 | 43.4 | 45.8 | 52.8 | 37.5 | – | – | – | – | – |
| 10 | कोरबा | 31.2 | 61.8 | 29.4 | 47.1 | 52.9 | – | – | – | – | – | 31.2 | 61.8 | 29.4 | 47.1 | 52.9 |
| 11 | कोरिया | 20.7 | 137.1 | 14.6 | 12.5 | 89.6 | – | – | – | – | – | 20.7 | 137.1 | 14.6 | 12.5 | 89.6 |
| 12 | महासमुन्द | 66 | 20.9 | 48.8 | 34.9 | 32.6 | 66 | 20.9 | 48.8 | 34.9 | 32.6 | – | – | – | – | – |
| 13 | रायगढ़ | 69.5 | 24.5 | 55.1 | 46.4 | 23.2 | 58.2 | 22.8 | 53.8 | 56.4 | 30.8 | 51.1 | 27 | 56.7 | 33.3 | 13.3 |
| 14 | रायपुर | 69.4 | 32.9 | 17 | 21.3 | 25.5 | 69.4 | 32.9 | 17 | 21.3 | 25.5 | – | – | – | – | – |
| 15 | राजनांदगांव | 84.8 | 22.5 | 41 | 34.6 | 32 | 86.4 | 24.1 | 34.9 | 27 | 27 | 80.2 | 17.6 | 66.7 | 66.7 | 53.3 |
| 16 | सरगुजा | 23.5 | 84.7 | 60 | 60 | 50 | – | – | – | – | – | 23.5 | 84.7 | 60 | 60 | 50 |
| 17 | बीजापुर | 13.9 | 112 | 67.9 | 53.6 | 39.3 | – | – | – | – | – | 27.2 | 112 | 67.9 | 53.6 | 39.3 |
| 18 | नारायणपुर | 26.7 | 47.8 | 100 | 54.5 | 45.4 | – | – | – | – | – | 26.7 | 47.8 | 100 | 54.5 | 45.4 |
| 19 | सुकमा | 29.2 | 35.7 | 20 | 91.7 | 0 | – | – | – | – | – | 29.2 | 35.7 | 20 | 100 | 0 |
| 20 | कोंडागाँव | 20.9 | 61.8 | 61.9 | 28.6 | 23.8 | – | – | – | – | – | 20.9 | 61.8 | 61.9 | 28.6 | 23.8 |
| 21 | बलौदाबाजार | 40.3 | 35 | 17.0 | 43.9 | 26.8 | 40.3 | 35 | 46.3 | 43.9 | 26.8 | – | – | – | – | – |
| 22 | गरियाबंद | 66 | 21.2 | 28.6 | 21.4 | 64.3 | 84.2 | 28.1 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 54.8 | 14.7 | 40 | 20 | 80 |
| 23 | बालोद | 68.9 | 29.4 | 32 | 26.7 | 42.7 | 72.1 | 28.3 | 32.3 | 24.6 | 41.5 | 49.0 | 40.0 | 30 | 40 | 50 |
| 24 | मुंगेली | 44.5 | 38.9 | 20 | 14.3 | 31.4 | 44.5 | 38.9 | 20 | 14.3 | 31.4 | – | – | – | – | – |
| 25 | सूरजपुर | 21.1 | 88.1 | 17.3 | 48.1 | 44.2 | – | – | – | – | – | 21.1 | 88.1 | 17.3 | 48.1 | 44.2 |
| 26 | बलरामपुर | 23.7 | 26.9 | 50 | 42.9 | 42.8 | – | – | – | – | – | 23.7 | 26.9 | 50 | 42.9 | 42.8 |
| 27 | बेमेतरा | 53.1 | 29.1 | 16 | 8 | 44 | 53.1 | 29.1 | 16 | 8 | 44 | – | – | – | – | – |
| 28 | गौरेला–पेण्ड्रा –मरवाही | 30 | 26.1 | 42.9 | 42.9 | 28.6 | – | – | – | – | – | 30 | 23.3 | 42.9 | 42.9 | 28.6 |
| | **योग** | **50.6** | **34.2** | **39.6** | **36.7** | **41.5** | **62.6** | **28.9** | **37.2** | **33.8** | **37.3** | **35.5** | **46** | **43** | **40.7** | **47.4** |

स्रोत :– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

अनुलग्नक - 7.4

## जल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मापदंड

| क्र. | विशेषता | इकाई | अपेक्षा (स्वीकार्य सीमा) | वैकल्पिक स्रोत की अनुपस्थिति में अनुमेय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1 | पी.एच. मान | – | 6.5–8.5 | कोई ढील नहीं |
| 2 | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ | मिलीग्राम / लीटर | 500 | 2000 |
| 3 | गंदगी | एनटीयू | 1 | 5 |
| 4 | क्लोराईड | मिलीग्राम / लीटर | 250 | 1000 |
| 5 | पूर्ण क्षारीयता | मिलीग्राम / लीटर | 200 | 600 |
| 6 | पूर्ण खारापन | मिलीग्राम / लीटर | 200 | 600 |
| 7 | सल्फेट | मिलीग्राम / लीटर | 200 | 400 |
| 8 | आयरन | मिलीग्राम / लीटर | 1.0 | कोई ढील नहीं |
| 9 | पूर्ण आर्सेनिक | मिलीग्राम / लीटर | 0.01 | कोई ढील नहीं |
| 10 | फ्लोराईड | मिलीग्राम / लीटर | 1.0 | 1.5 |
| 11 | नाइट्रेट | मिलीग्राम / लीटर | 45 | कोई ढील नहीं |
| 12 | पूर्ण कोलीफॉर्म बैक्टीरिया | 100 मिलीलीटर के किसी भी नमूने में पता लगने योग्य नहीं होना चाहिए। | | |

स्रोत – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी

अनुलग्नक - 7.5

## जल जीवन मिशन की भौतिक प्रगति

| क्र. | जिला | (01/04/2023) तक कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या | (01/04/2023) तक PWS में घरेलु कनेक्शन परिवारों की संख्या | (24/08/2023) तक रिपोर्ट किए गए कुल घरेलु कनेक्शन | (24/08/2023) तक रिपोर्ट किए गए PWS के साथ कुल घरेलु कनेक्शन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सारंगढ़–बिलाईगढ़ | 162580 | 32411 | 62554 | 38.48 |
| 2 | जशपुर | 212778 | 60063 | 89017 | 41.84 |
| 3 | कोरबा | 206953 | 56060 | 88296 | 42.66 |
| 4 | बलरामपुर | 197552 | 55766 | 90039 | 45.58 |
| 5 | सुकमा | 66312 | 20426 | 30646 | 46.21 |
| 6 | सरगुजा | 185930 | 54632 | 87208 | 46.9 |
| 7 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 84537 | 24297 | 39842 | 47.13 |
| 8 | बीजापुर | 56225 | 21356 | 26620 | 47.35 |
| 9 | मोहला–मानपुर–चौकी | 64593 | 23385 | 31044 | 48.06 |
| 10 | कांकेर | 151065 | 60095 | 74328 | 49.2 |
| 11 | सूरजपुर | 164515 | 53419 | 81268 | 49.4 |
| 12 | बस्तर | 169463 | 57977 | 84928 | 50.12 |
| 13 | बिलासपुर | 246673 | 91653 | 125583 | 50.91 |
| 14 | दंतेवाड़ा | 50732 | 19582 | 25880 | 51.01 |
| 15 | भरतपुर–मनेंद्रगढ़–चिरमिरी | 83350 | 29471 | 44204 | 53.03 |
| 16 | रायगढ़ | 242821 | 99815 | 129404 | 53.29 |
| 17 | बलौदाबाजार | 231664 | 87992 | 124347 | 53.68 |
| 18 | कोरिया | 51910 | 22187 | 28461 | 54.83 |
| 19 | नारायणपुर | 30331 | 13062 | 17832 | 58.79 |
| 20 | गरियाबंद | 153558 | 70101 | 90991 | 59.26 |
| 21 | महासमुन्द | 239342 | 96615 | 141915 | 59.29 |
| 22 | कोंडागाँव | 125593 | 50260 | 77791 | 61.94 |
| 23 | कबीरधाम | 199294 | 99551 | 125048 | 62.75 |
| 24 | बेमेतरा | 177440 | 90051 | 114603 | 64.59 |
| 25 | बालोद | 176182 | 80935 | 114696 | 65.1 |
| 26 | खैरागढ़–छुईखदान–गंडई | 74169 | 35892 | 49393 | 66.6 |
| 27 | सक्ति | 156663 | 77959 | 107790 | 68.8 |
| 28 | जांजगीर–चांपा | 207156 | 103695 | 143921 | 69.47 |
| 29 | मुंगेली | 166869 | 81004 | 118274 | 70.88 |
| 30 | राजनांदगांव | 156789 | 92936 | 113815 | 72.59 |
| 31 | दुर्ग | 155801 | 89339 | 117233 | 75.25 |
| 32 | रायपुर | 190001 | 124801 | 143947 | 75.76 |
| 33 | धमतरी | 153734 | 115339 | 131807 | 85.74 |
| **योग** | | **4992575** | **2092127** | **2872725** | **57.54** |

स्त्रोत :– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के साथ समीक्षा बैठक से प्राप्त जानकारी।
(दिनांक 25 अगस्त 2023)

अनुलग्नक - 7.6

## ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में जल निकासी तथा ठोस अपशिष्ट निराकरण

आंकड़े प्रतिशत (%) रूप में

| क्र. | जिला | राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति | | गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | | अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जल निकासी (नाली) की व्यवस्था वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत जहाँ घरों से कूड़ा ले जाने की व्यवस्था है। | जल निकासी (नाली) की व्यवस्था वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत जहाँ घरों से कूड़ा ले जाने की व्यवस्था है। | जल निकासी (नाली) की व्यवस्था वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत जहाँ घरों से कूड़ा ले जाने की व्यवस्था है। |
| 1 | बस्तर | 6.06 | 19.7 | – | – | 65.9 | 19.7 |
| 2 | बिलासपुर | 67.6 | 40.7 | 67.6 | 40.7 | – | – |
| 3 | दंतेवाड़ा | 31.3 | 19.3 | – | – | 31.3 | 19.3 |
| 4 | धमतरी | 73.9 | 35.9 | 82.9 | 41.1 | 47.5 | 20.3 |
| 5 | दुर्ग | 85.6 | 57.5 | 85.6 | 57.5 | – | – |
| 6 | जांजगीर–चांपा | 65.1 | 21.4 | 65.1 | 21.4 | – | – |
| 7 | जशपुर | 68.1 | 32.8 | – | – | 68.1 | 32.8 |
| 8 | कांकेर | 44.9 | 33.3 | – | – | 44.9 | 33.3 |
| 9 | कबीरधाम | 13.5 | 25 | 61.1 | 25 | – | – |
| 10 | कोरबा | 59.7 | 29.5 | – | – | 59.7 | 29.5 |
| 11 | कोरिया | 27.2 | 23.1 | – | – | 27.2 | 23.1 |
| 12 | महासमुन्द | 57 | 19.5 | 57 | 19.5 | – | – |
| 13 | रायगढ़ | 66.3 | 34 | 71.8 | 34 | 59 | 34.1 |
| 14 | रायपुर | 69.5 | 36.4 | 79.1 | 36.4 | – | – |
| 15 | राजनांदगांव | 72.8 | 18.9 | 74.5 | 17.5 | 67.9 | 22.6 |
| 16 | सरगुजा | 61 | 12.3 | – | – | 61 | 12.3 |
| 17 | बीजापुर | 6.5 | 4.3 | – | – | 6.5 | 4.3 |
| 18 | नारायणपुर | 13.9 | 32.6 | – | – | 20.9 | 32.6 |
| 19 | सुकमा | 16.7 | 14.6 | – | – | 16.7 | 14.6 |
| 20 | कोंडागाँव | 19.6 | 9.8 | – | 91ण7 | 19.6 | 9.8 |
| 21 | बलौदाबाजार | 51 | 34.8 | 51 | 34.8 | – | – |
| 22 | गरियाबंद | 56 | 22 | 17.0 | 18.4 | 45.2 | 24.2 |
| 23 | बालोद | 72.7 | 26.5 | 73.7 | 24.4 | 66.7 | 39.2 |
| 24 | मुंगेली | 58.9 | 15.8 | 58.9 | 15.8 | – | – |
| 25 | सूरजपुर | 43.7 | 22.2 | – | – | 43.7 | 22.2 |
| 26 | बलरामपुर | 34.2 | 26.9 | – | – | 34.2 | 26.9 |
| 27 | बेमेतरा | 59.3 | 22.8 | 59.3 | 22.8 | – | – |
| 28 | गौरेला–पेण्ड्रा –मरवाही | 48 | 22 | – | – | 48 | 22 |
| | **योग** | **58** | **26.1** | **67.3** | **28.1** | **46.2** | **23.5** |

स्रोत – चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

# ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट योजना की स्थिति

## अनुलग्नक - 7.7

आंकड़े प्रतिशत (%) रूप में

| क्र. | जिला | राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | | | | गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | | | | अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | स्ट्रीट लाइट है, पर चालु नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | स्ट्रीट लाइट चालु नहीं होने का कारण: बिजली बिल का अ–भुगतान | सुधार राशि की अनुप लब्धता | अन्य कारण | एक से अधिक कारण | स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | स्ट्रीट लाइट है, पर चालु नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | स्ट्रीट लाइट चालु नहीं होने का कारण: बिजली बिल का अ–भुगतान | सुधार राशि की अनुप लब्धता | अन्य कारण | एक से अधिक कारण | स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | स्ट्रीट लाइट है, पर चालु नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | स्ट्रीट लाइट चालु नहीं होने का कारण: बिजली बिल का अ–भुगतान | सुधार राशि की अनुप लब्धता | अन्य कारण | एक से अधिक कारण |
| 1 | बस्तर | 56.1 | 23.5 | 3.2 | 74.2 | 16.1 | 6.4 | – | – | – | – | – | – | 56.1 | 23.5 | 3.2 | 74.2 | 16.1 | 6.4 |
| 2 | बिलासपुर | 26.2 | 29 | 19 | 64.3 | 14.3 | 2.4 | 26.2 | 29 | 19 | 64.3 | 14.3 | 2.4 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | दंतेवाड़ा | 10.8 | 67.5 | 3.6 | 5.4 | 85.7 | 5.4 | – | – | – | – | – | – | 10.8 | 67.6 | 3.6 | 5.4 | 85.7 | 5.4 |
| 4 | धमतरी | 77.3 | 4.3 | 0 | 30 | 40 | 30 | 82.9 | 1.7 | 0 | 0 | 66.7 | 33.3 | 61 | 11.9 | 0 | 42.8 | 28.6 | 28.6 |
| 5 | दुर्ग | 91.9 | 1.9 | 0 | 66.7 | 33.3 | 0 | 91.9 | 1.9 | 0 | 66.7 | 33.3 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | जांजगीर–चांपा | 57.9 | 16.4 | 6.4 | 22.6 | 33.9 | 37.1 | 57.9 | 16.4 | 6.4 | 22.6 | 33.9 | 37.1 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | जशपुर | 33.3 | 24 | 18.4 | 46.9 | 26.5 | 8.2 | – | – | – | – | – | – | 33.3 | 24 | 18.4 | 46.9 | 26.5 | 8.2 |
| 8 | कांकेर | 13.5 | 12.3 | 11.8 | 47.1 | 41.2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 37 | 12.3 | 11.8 | 47.1 | 41.2 | 0 |
| 9 | कबीरधाम | 21.4 | 32.5 | 10.2 | 25.9 | 36.1 | 27.8 | 21.4 | 32.5 | 10.2 | 25.9 | 36.1 | 27.8 | – | – | – | – | – | – |
| 10 | कोरबा | 65.9 | 20.4 | 8.3 | 27.8 | 41.7 | 22.2 | – | – | – | – | – | – | 65.9 | 20.4 | 8.3 | 27.8 | 41.7 | 22.2 |
| 11 | कोरिया | 17.7 | 48.5 | 2.4 | 19.5 | 73.2 | 4.9 | – | – | – | – | – | – | 17.7 | 48.5 | 2.4 | 19.5 | 73.2 | 4.9 |
| 12 | महासमुन्द | 54.5 | 7 | 4.5 | 40.9 | 31.8 | 22.7 | 54.5 | 7 | 4.5 | 40.9 | 31.8 | 22.7 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | रायगढ़ | 69.5 | 11 | 0 | 71.4 | 12.5 | 16.1 | 75.2 | 12.2 | 0 | 75 | 5.6 | 19.4 | 61.7 | 9.2 | 0 | 65 | 25 | 10 |
| 14 | रायपुर | 74.3 | 7.8 | 12.5 | 56.2 | 18.7 | 12.5 | 74.3 | 7.8 | 12.5 | 56.2 | 18.7 | 12.5 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | राजनांदगांव | 54.9 | 15.2 | 11.3 | 32.3 | 32.3 | 24.2 | 56 | 13.2 | 12.5 | 42.5 | 32.5 | 12.5 | 51.9 | 20.7 | 9.1 | 13.6 | 31.8 | 48.4 |
| 16 | सरगुजा | 49 | 27.5 | 11.6 | 49.3 | 18.8 | 20.3 | – | – | – | – | – | – | 49 | 27.5 | 11.6 | 49.3 | 18.8 | 20.3 |
| 17 | बीजापुर | 13.9 | 28.3 | 3.8 | 11.5 | 53.8 | 30.8 | – | – | – | – | – | – | 30.4 | 28.3 | 3.8 | 11.5 | 53.8 | 30.8 |
| 18 | नारायणपुर | 45.3 | 40.7 | 0 | 48.6 | 48.6 | 2.9 | – | – | – | – | – | – | 45.3 | 40.7 | 0 | 48.6 | 48.4 | 2.9 |
| 19 | सुकमा | 31.2 | 25 | 0 | 91.7 | 8.3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 31.2 | 25 | 0 | 81.7 | 8.3 | 0 |
| 20 | कोंडागाँव | 36.8 | 11.7 | 26.3 | 21 | 15.8 | 36.8 | – | – | – | – | – | – | 36.8 | 11.7 | 26.3 | 21 | 15.8 | 36.8 |
| 21 | बलौदाबाजार | 56.9 | 3.8 | 17.0 | 36.4 | 18.2 | 27.3 | 56.9 | 3.8 | 18.2 | 36.4 | 18.2 | 27.3 | – | – | – | – | – | – |
| 22 | गरियाबंद | 45 | 15 | 13.3 | 40 | 40 | 6.7 | 57.9 | 21 | 12.5 | 50 | 37.5 | 0 | 37.1 | 11.3 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 14.3 |
| 23 | बालोद | 88.4 | 4.3 | 6.2 | 18.7 | 37.5 | 37.5 | 89.7 | 4.1 | 7.7 | 15.4 | 49.0 | 38.5 | 80.4 | 5.9 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 24 | मुंगेली | 25.7 | 18.3 | 8.1 | 75.7 | 2.7 | 13.5 | 25.7 | 18.3 | 8.1 | 75.7 | 2.7 | 13.5 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | सूरजपुर | 31.9 | 50.2 | 5.7 | 40 | 35 | 19.3 | – | – | – | – | – | – | 31.9 | 50.2 | 5.7 | 40 | 33 | 12.3 |
| 26 | बलरामपुर | 16.9 | 56.2 | 32.5 | 48.8 | 10.6 | 8.1 | – | – | – | – | – | – | 16.9 | 56.2 | 32.5 | 48.6 | 10.6 | 8.1 |
| 27 | बेमेतरा | 80.2 | 3.1 | 20 | 40 | 20 | 20 | 80.2 | 3.1 | 20 | 40 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 28 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 33 | 26.1 | 11.4 | 74.3 | 14.3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 33 | 35 | 11.4 | 74.3 | 14.3 | 0 |
| | **योग** | **51.2** | **20.1** | **10.6** | **40.9** | **32.4** | **16.1** | **60** | **12.2** | **9.6** | **42.6** | **26.1** | **21.7** | **40.3** | **29.3** | **11.1** | **40** | **35.6** | **13.2** |

स्रोत – चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

## अनुलग्नक - 7.8

# ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में आंगनबाड़ी तथा मितानिन

| क्र. | जिला | राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जिलेवार प्रतिग्राम पंचायत आंगनबाड़ी की औसत संख्या | जिलेवार ग्राम पंचायतो में एक से अधिक आंगनबाड़ी का प्रतिशत | मितानिन की सुविधा वाली **ग्राम पंचायतों** का प्रतिशत | जिलेवार प्रति ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी की औसत संख्या | जिलेवार ग्राम पंचायतो में एक से अधिक आंगनबाड़ी का प्रतिशत | मितानिन की सुविधा वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत | जिलेवार प्रति ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी की औसत संख्या | जिलेवार ग्राम पंचायतों में एक से अधिक आंगनबाड़ी का प्रतिशत | मितानिन की सुविधा वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत |
| 1 | बस्तर | 4.5 | 99.2 | 96.2 | – | – | – | 4.5 | 99.2 | 96.2 |
| 2 | बिलासपुर | 6.1 | 93.8 | 98.6 | 3.0 | 93.8 | 98.6 | – | – | – |
| 3 | दंतेवाड़ा | 7.8 | 97.6 | 95.2 | – | – | – | 7.8 | 97.6 | 95.2 |
| 4 | धमतरी | 2.6 | 92.3 | 94.0 | 2.5 | 92 | 93.7 | 3.1 | 93.2 | 94.9 |
| 5 | दुर्ग | 3.0 | 93.7 | 96.9 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | जांजगीर–चांपा | 2.9 | 90.7 | 97.3 | 2.9 | 90.7 | 97.3 | – | – | – |
| 7 | जशपुर | 8.7 | 100.0 | 97.1 | – | – | – | 8.7 | 100 | 97.1 |
| 8 | कांकेर | 4.2 | 99.3 | 97.8 | – | – | – | 4.2 | 99.3 | 97.8 |
| 9 | कबीरधाम | 3.5 | 98.2 | 93.7 | 3.5 | 98.2 | 93.7 | – | – | – |
| 10 | कोरबा | 13.5 | 100.0 | 99.4 | – | – | – | 5.6 | 100 | 99.4 |
| 11 | कोरिया | 4.4 | 97.0 | 95.9 | – | – | – | 4.4 | 97.0 | 95.9 |
| 12 | महासमुन्द | 4.6 | 96.8 | 96.8 | 4.6 | 96.8 | 96.8 | – | – | – |
| 13 | रायगढ़ | 3.7 | 96.9 | 95.9 | 3.0 | 95.6 | 96.6 | 4.7 | 98.6 | 94.9 |
| 14 | रायपुर | 4.0 | 92.2 | 98.1 | 4.0 | 92.2 | 98.1 | – | – | – |
| 15 | राजनांदगांव | 69.5 | 97.3 | 95.6 | 3.3 | 96.4 | 99.0 | 4.5 | 100 | 85.5 |
| 16 | सरगुजा | 5.5 | 99.2 | 97.6 | – | – | – | 5.5 | 99.2 | 97.6 |
| 17 | बीजापुर | 6.0 | 100.0 | 88.0 | – | – | – | 6.0 | 100 | 88.0 |
| 18 | नारायणपुर | 4.2 | 93.0 | 83.7 | – | – | – | 4.2 | 93.0 | 83.7 |
| 19 | सुकमा | 13.9 | 100.0 | 95.8 | – | – | – | 5.9 | 100 | 95.8 |
| 20 | कोंडागाँव | 4.6 | 98.2 | 97.5 | – | – | – | 4.6 | 98.2 | 97.5 |
| 21 | बलौदाबाजार | 2.7 | 86.2 | 97.6 | 91.7 | 86.2 | 97.6 | – | – | – |
| 22 | गरियाबंद | 3.6 | 97.2 | 94.0 | 3.5 | 100 | 94.7 | 3.7 | 95.2 | 93.5 |
| 23 | बालोद | 3.7 | 97.3 | 17.0 | 3.5 | 96.9 | 99.1 | 4.7 | 100 | 92.0 |
| 24 | मुंगेली | 2.7 | 93.1 | 97.5 | 2.7 | 93.1 | 97.5 | – | – | – |
| 25 | सूरजपुर | 4.3 | 96.1 | 96.1 | – | – | – | 4.3 | 96.1 | 96.1 |
| 26 | बलरामपुर | 6.1 | 98.6 | 95.9 | – | – | – | 6.1 | 98.6 | 95.9 |
| 27 | बेमेतरा | 3.3 | 83.3 | 100.0 | 3.3 | 83.3 | 100 | – | – | – |
| 28 | गौरेला–पेण्ड्रा –मरवाही | 5.0 | 100.0 | 92.0 | – | – | – | 5.0 | 100 | 92.0 |
| | **योग** | **4.2** | **95.6** | **96.3** | **3.3** | **93.5** | **97.2** | **5.3** | **98.3** | **95.1** |

स्रोत – चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

## अनुलग्नक - 7.9

# ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में विधालय की उपलब्धता

आंकड़े प्रतिशत (%) रूप में

| क्र. | जिला | राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | | गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | | अनुसूचित ग्राम पंचायतों की स्थिति | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पंचायते जहां केवल प्राथमिक शाला है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कुल तथा हायर सेकण्ड्री स्कूल है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक शाला है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कुल तथा हायर सेकण्ड्री स्कूल है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक शाला है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल है | पंचायते जहां केवल प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कुल तथा हायर सेकण्ड्री स्कूल है |
| 1 | बस्तर | 6.1 | 62.9 | 13.6 | 12.9 | – | – | – | – | 6.1 | 62.9 | 13.6 | 12.9 |
| 2 | बिलासपुर | 15.2 | 44.8 | 22.8 | 15.9 | 15.2 | 44.8 | 22.8 | 15.9 | – | – | – | – |
| 3 | दंतेवाड़ा | 7.2 | 55.4 | 21.7 | 8.4 | – | – | – | – | 7.2 | 55.4 | 21.7 | 8.4 |
| 4 | धमतरी | 4.7 | 51.3 | 17.9 | 25.2 | 4.0 | 46.9 | 18.9 | 29.1 | 6.8 | 64.4 | 15.2 | 13.6 |
| 5 | दुर्ग | 26.9 | 41.2 | 11.9 | 18.1 | 26.9 | 41.2 | 11.9 | 18.1 | – | – | – | – |
| 6 | जांजगीर–चांपा | 5.8 | 54.2 | 19.3 | 17.7 | 5.8 | 54.2 | 19.3 | 17.7 | – | – | – | – |
| 7 | जशपुर | 17.2 | 52.4 | 17.2 | 11.8 | – | – | – | – | 17.2 | 52.4 | 17.2 | 11.8 |
| 8 | कांकेर | 3.6 | 44.9 | 19.6 | 21.0 | – | – | – | – | 3.6 | 44.9 | 19.6 | 21.0 |
| 9 | कबीरधाम | 13.5 | 58.7 | 14.5 | 12.3 | 13.5 | 58.7 | 14.5 | 12.3 | – | – | – | – |
| 10 | कोरबा | 11.4 | 59.1 | 17.6 | 9.7 | – | – | – | – | 11.4 | 59.1 | 17.6 | 9.7 |
| 11 | कोरिया | 11.8 | 51.5 | 21.3 | 13.6 | – | – | – | – | 11.8 | 51.5 | 21.3 | 13.6 |
| 12 | महासमुन्द | 19.2 | 49.4 | 13.1 | 17.3 | 19.2 | 49.4 | 13.1 | 17.3 | – | – | – | – |
| 13 | रायगढ़ | 12.3 | 57.7 | 15.3 | 12.5 | 15.3 | 60.5 | 10.5 | 12.6 | 8.3 | 53.9 | 21.7 | 12.4 |
| 14 | रायपुर | 69.5 | 52.4 | 11.2 | 15.0 | 17.5 | 12.4 | 11.2 | 15.0 | – | – | – | – |
| 15 | राजनांदगांव | 17.4 | 47.8 | 15.2 | 17.4 | 19.9 | 47.0 | 15.2 | 15.6 | 1.4 | 50.0 | 15.1 | 22.6 |
| 16 | सरगुजा | 6.4 | 59.0 | 23.5 | 8.8 | – | – | – | – | 6.4 | 59.0 | 23.5 | 8.8 |
| 17 | बीजापुर | 37.0 | 37.0 | 14.1 | 7.6 | – | – | – | – | 37.0 | 37.0 | 14.1 | 7.6 |
| 18 | नारायणपुर | 13.9 | 60.5 | 9.3 | 12.8 | – | – | – | – | 13.9 | 60.5 | 9.3 | 12.8 |
| 19 | सुकमा | 31.2 | 58.3 | 6.2 | 4.2 | – | – | – | – | 31.2 | 58.3 | 6.2 | 4.2 |
| 20 | कोंडागाँव | 6.1 | 54.0 | 20.2 | 91.7 | – | – | – | – | 6.1 | 54.0 | 20.2 | 15.3 |
| 21 | बलौदाबाजार | 16.9 | 45.2 | 16.5 | 19.7 | 16.9 | 45.2 | 16.5 | 19.7 | – | – | – | – |
| 22 | गरियाबंद | 7.0 | 61.0 | 17.0 | 13.0 | 7.9 | 55.3 | 18.4 | 15.8 | 6.4 | 64.5 | 16.1 | 11.3 |
| 23 | बालोद | 20.5 | 44.0 | 13.0 | 21.1 | 21.9 | 43.3 | 11.6 | 21.9 | 12.0 | 48.0 | 22.0 | 16.0 |
| 24 | मुंगेली | 31.2 | 33.7 | 21.8 | 9.4 | 31.2 | 33.7 | 21.8 | 9.4 | – | – | – | – |
| 25 | सूरजपुर | 14.3 | 55.2 | 15.0 | 10.7 | – | – | – | – | 14.3 | 55.2 | 15.0 | 10.7 |
| 26 | बलरामपुर | 14.6 | 59.8 | 10.5 | 13.2 | – | – | – | – | 14.6 | 59.8 | 10.5 | 13.2 |
| 27 | बेमेतरा | 22.2 | 40.1 | 17.9 | 19.1 | 22.2 | 40.1 | 17.9 | 9.1 | – | – | – | – |
| 28 | गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही | 10.0 | 54.0 | 19.0 | 14.0 | – | – | – | – | 10.0 | 54.0 | 19.0 | 14.0 |
| | **योग** | **14.6** | **51.6** | **16.3** | **15** | **16.9** | **48.8** | **15.4** | **17** | **11.6** | **55** | **17.4** | **12.6** |

स्रोत – चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा संकलित समंक

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

### छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 16, 1932)

क्रमांक-12504/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

## छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 25 सन् 2010)

# छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह 01 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त होगा.

धारा 25 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

" (पांच) आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए, विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10 % अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर किया जावेगा. "

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. "छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के अधीन आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) अधिरोपित किया जाता है. राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, स्थानीय निकायों के संसाधन में वृद्धि करने हेतु आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए, विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10 % अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा. "

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर

दिनांक 30 नवम्बर, 2010

---

" संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

## उपाबंध

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा-25 का सुसंगत उद्धरण-

. . . . . . . . . . . . . .

धारा-25 आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क :-

उप-धारा (1) :- यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो यथास्थिति आबकारी शुल्क या कोई प्रतिशुल्क औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (क्रमांक 16 सन् 1955) की अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियों से भिन्न आबकारी शुल्क योग्य समस्त ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहित किया जाएगा.

(ए) जिनका आयात किया गया हो, या

(बी) जिनका निर्यात किया गया हो, या

(सी) जिनका परिवहन किया गया हो, या

(डी) जो धारा 13 के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित की गई हों, खेती में उपजाई गई हों अथवा संग्रहित की गई हों, या

(ई) जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई किसी आसवनी में या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त की गई किसी आसवनी या मद्य निर्माण शाला में विनिर्मित की गई हो ;

परन्तु राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि, वह आबकारी शुल्क योग्य किसी भी वस्तु को किसी ऐसे शुल्क से, जिसके लिये कि, वह इस अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन हो छूट दे.

उप-धारा (2) :- उप-धारा (1) के अधीन शुल्क का अधिरोपण :-

(एक) उस स्थान के, जहां किसी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु को ले जाया जाना है, या

(दो) आबकारी शुल्क-योग्य वस्तु की शक्ति (स्ट्रेन्थ) और उसकी क्वालिटी के, या

(तीन) आबकारी शुल्क-योग्य वस्तु का विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग के अनुसार विभिन्न दरों से किया जा सकेगा, या

(चार) ऐसे सिद्धान्तों पर, जो कि विहित किये जाएं, आधारित आबकारी शुल्क-योग्य वस्तुओं के मूल्य के.

. . . . . . . . . . . . . .

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ

**GOVERNMENT OF ODISHA**
**PANCHAYATI RAJ & DRINKING WATER DEPARTMENT**

Odisha Lokseva Bhawan
Sachibalaya Marg, Bhubaneswar-751 001
e-mail: prsec.or@nic.in

No. 9252 / Date 06.06.2020
PR-SFC-POLICY-0002-2020

From
**Shri Deoranjan Kumar Singh, IAS**
**Principal Secretary to Government.**

To
**All Collectors**
**All Project Directors, DRDAs**

Sub:- **Guidelines on Utilization of Devolution of funds recommended by the 5th State Finance Commission to 3 Tier PRIs for the period from 2020 - 21 to 2025 - 26 (6 years).**

Madam / Sir,

I am directed to say that, on the recommendations of the 5th State Finance Commission and the Action Taken Report (ATR) thereof laid before the Odisha Legislative Assembly, the distribution of devolution of funds to 3 tier PRIs has been allowed in the ratio of 60:30:10 in favour of the Gram Panchayat, Panchayat Samaiti and Zilla Parishad respectively to be utilised on community felt need based projects. These projects are to be included in the GPDP of the Gram Panchayat, Annual Action Plan of the Panchayat Samiti and Annual Action Plan of the Zilla Parishad for the particular year. For proper monitoring of the expenditure, the 5 PES Application must be used which is integrated with PRIASOFT, PFMS and IFMS.

**TOTAL DEVOLUTION OF FUNDS TRANSFER TO THE 3 TIER PRIs FOR THE PERIOD 2020-26.**

**(Rs. in crore)**

| PRIs | Total (Per Year) | Total Allocation (2020-21 to 2025-26) |
|---|---|---|
| Gram Panchayats | 549.05 | 3294.30 |
| Panchayat Samitis | 274.53 (Tied 50% i.e. Rs.137.265 + Untied 50% i.e. Rs.137.265) | 1647.18 |
| Zilla Parishads | 91.51 | 549.06 |
| Grand Total | 915.09 | 5490.54 |

(6)

**V. MODE OF TRANSFER OF DEVOLUTION OF FUNDS AT Z.P. LEVEL:**

The fund to be devolved to all Zilla Parishads comes to Rs. 549.06 crore for the period from 2020-21 to 2025-26 @ Rs.91.51 Cr. per annum. The distribution has been made to Zilla Parishads considering number of Panchayat Samities in the districts (i.e. @ Rs.29,14,331.00 per Panchayat Samiti x nos. of Panchayat Samiti in a Zilla Parishad). The allocation under Devolution of Funds on SFC to Zilla Parishad shall be transmitted to the approved SFC Account integrated in PRIASOFT with PFMS and IFMS.

**5th SFC DEVOLUTION TO THE ZILLA PARISHAD :**

The funds under this head provided to the Zilla Parishad may be utilized as per local needs prioritising the works as detailed below:

1. For achieving the drinking water saturation plan of the district, new PWS/ augmentation of existing PWS (FHTC to rural household) may be taken up in convergence with other State Govt. Schemes like BASUDHA/ RIDF/ SFC, to meet O&M Cost of PWS in operation in District etc. Work may also be taken up with depositing money in the DWSM Account for making proper convergence planning.
2. Payment of Energy bill of Mega PWS operated in the District,
3. Sanitation and water supply works to the Govt. institutions transferred to Panchayati Raj & Drinking Water Department like District Headquarter Hospital, Sub-Divisional Hospitals, CHC / PHC, District Veterinary Hospital, +2 College etc.
4. Solid waste and liquid waste management in different Panchayat Samities.
5. New Construction and Maintenance of Govt. Higher Secondary Schools (Grades up to XII)
6. Repair and maintenance of Sub-Divisional Hospital.
7. Repair and maintenance of District Headquarter Hospital.
8. Other need based community driven projects as decided by the Zilla Parishad.

## FUND ALLOCATION

**Name of Scheme:** **15th FC**

| UNTIED Fund | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | No. of block | Rate | Total Allocation | No. of ZP member | Allocation per ZP member |
| 202[illegible]-2[illegible] | 5 | 2201272 | 1,10,06,360.00 | 14 | 7,86,168.57 |
| Total | | | 1,10,06,360.00 | | |

| TIED Fund | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | No. of block | Rate | Total Allocation | No. of ZP member | Allocation per ZP member |
| 202[illegible]-2[illegible] | 5 | 3301910 | 1,65,09,550.00 | 14 | 11,79,253.57 |
| Total | | | 1,65,09,550.00 | | |

**Name of Scheme:** **5th SFC**

| DEVOLUTION FUND | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | No. of block | Rate | Total Allocation | No. of ZP member | Allocation per ZP member |
| 202[illegible]-2[illegible] | 5 | 2914331 | 1,45,71,655.00 | 14 | 10,40,832.50 |
| Total | | | 1,45,71,655.00 | | |

अनुलग्नक - 12.1

## स्तरांक की गणना हेतु आवश्यक आंकड़े एवं स्तरांक के गणना की जानकारी

| क्र. | संकेतक | इकाई | समंको की आवश्यकता | गणना सूत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सभी बसाहटों में नल जल की आपूर्ति | प्रतिशत | – ग्राम पंचायत मे बसाहटों की संख्या<br>– नल जल आपूर्ति वाली बसाहटों की संख्या | नल जल आपूर्ति वाली बसाहटों की संख्या ÷ ग्राम पंचायतों मे कुल बसाहटों की संख्या x 100 |
| 2 | सभी घरों में नल जल कनेक्शन | प्रतिशत | ग्राम पंचायत में घरों एवं नल जल वाले घरों की संख्या | नल जल वाले घरों की संख्या ÷ कुल घरों की संख्या x 100 |
| 3 | प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति | प्रतिशत | – ग्राम पंचायत में टंकी की क्षमता<br>– ग्राम पंचायत की जनसंख्या | ग्राम पंचायत की टंकी की क्षमता ÷ ग्राम पंचायत की जनसंख्या |
| 4 | प्रतिदिन नियम समय पर जल आपूर्ति | प्रतिशत | प्रतिदिन जल आपूर्ति का समय | नियत समय पर जल आपूर्ति वाले दिन ÷ जल आपूर्ति के कुल दिन x 100 |
| 5 | जल आपूर्ति संबंधी विघुत देयक का प्रतिमाह भुगतान | प्रतिशत | विद्युत देयक भुगतान की जानकारी | विद्युत देयक भुगतान वाले माह की संख्या ÷ 12 माह x 100 |
| 6 | स्वच्छ जल आपूर्ति | प्रतिशत | जल परीक्षण संबंधी आंकड़े | उत्तीर्ण परीक्षणों की संख्या ÷ कुल परीक्षण की संख्या x 100 |
| 7 | जल आपूर्ति सेवा की लागत वसूली | प्रतिशत | – जल आपूर्ति पर संधारण व्यय<br>– जल कर से प्राप्त कुल राशि | जल कर से प्राप्त कुल राशि ÷ जल आपूर्ति पर कुल संधारण व्यय x 100 |
| 8 | ग्राम पंचायत के सभी घरों में शौचालय है | प्रतिशत | – घर में शौचालय वाले घरों की संख्या<br>– कुल घरों की संख्या | घर में शौचालय वाले घरों की संख्या ÷ कुल घरों की संख्या x 100 |
| 9 | सभी घरेलू शौचालय उपयोग योग्य है | प्रतिशत | – शौचालय के लिए घर से बाहर जाने वाले परिवारों की संख्या<br>– घर में शौचालय वाले परिवारो की संख्या | 100 - ( शौचालय के लिए घर से बाहर जाने वाले परिवारों की संख्या ÷ घर मे शौचालय वाले परिवारों की संख्या x 100 ) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | सभी घरों से कचरा इकठ्ठा किया जा रहा है। | प्रतिशत | – घर से कचरा लिये जाने वाले घरों की संख्या<br>– कुल घरों की संख्या | घर से कचरा लिये जाने वाले घरों की संख्या ÷ कुल घरों की संख्या x 100 |
| 11 | एकत्रित कचरे का युक्तियुक्त निराकरण | | कचरे के पृथक्करण से संबंधित आंकड़े | पृथकीकृत कचरे की मात्रा ÷ कुल कचरे की मात्रा x 100 |
| 12 | ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन की लागत | प्रतिशत | – स्वच्छता कर वसूली की कुल राशि<br>– स्वच्छता कर पर कुल संधारण व्यय | स्वच्छता कर से वसूली की कुल राशि ÷ स्वच्छता पर कुल संधारण व्यय x 100 |
| 13 | सभी आंतरिक पक्की सड़को के दोनो तरफ नालियाँ हैं। | प्रतिशत | – पक्की सड़कों की कुल लंबाई<br>– पक्की सड़कों के दोनो ओर नाली वाली सड़कों की लंबाई | पक्की सड़कों के दोनो ओर नाली वाली सड़कों की लंबाई ÷ कुल पक्की सड़कों की लंबाई x 100 |
| 14 | सभी कच्ची पक्की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। | प्रतिशत | – कच्ची/पक्की सड़कों की कुल लंबाई<br>– स्ट्रीट लाइट वाली सड़कों की कुल लंबाई | स्ट्रीट लाइट वाली सड़कों की कुल लंबाई ÷ कच्ची पक्की सड़कों की कुल लंबाई x 100 |
| 15 | स्ट्रीट लाइट विद्युत देयक का प्रतिमाह भुगतान हो रहा है | प्रतिशत | स्ट्रीट लाइट विद्युत देयक के प्रतिमाह भुगतान की जानकारी | स्ट्रीट लाइट विद्युत देयक भुगतान वाले माह की संख्या ÷ 12 माह x 100 |
| 16 | स्ट्रीट लाइट के संधारण व्यय की वसूली | प्रतिशत | – स्ट्रीट लाइट के संधारण व्यय की कुल वसूली<br>– प्रकाश शुल्क वसूली की राशि | प्रकाश शुल्क वसूली की राशि ÷ स्ट्रीट लाइट पर कुल संधारण व्यय x 100 |

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़

अनुलग्नक - 12.2

## छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या

| वर्ष | कुल जनसंख्या | शहरी | | ग्रामीण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | जनसंख्या | प्रतिशत | जनसंख्या | प्रतिशत |
| 2011 | 25545000 | 5937000 | 23.24 | 19608000 | 76.76 |
| 2021 | 29493000 | 7810000 | 26.48 | 21683000 | 73.52 |
| 2025 | 30867000 | 8568000 | 27.76 | 22299000 | 72.24 |
| 2026 | 31211000 | 8763000 | 28.08 | 22448000 | 71.92 |
| 2027 | 31512000 | 8948000 | 28.40 | 22564000 | 71.60 |
| 2028 | 31814000 | 9135000 | 28.71 | 22679000 | 71.29 |
| 2029 | 32116000 | 9324000 | 29.03 | 22792000 | 70.97 |
| 2030 | 32417000 | 9515000 | 29.35 | 22902000 | 70.65 |

Source: Report of the Technical Group on Population Projection, National Commission on Population, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India, July 2020

**अनुलग्नक - 12.3**

## ग्राम पंचायतों के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय की गणना

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. प्रति व्यक्ति स्ट्रीट लाईट व्यय** | | | | |
| एक ग्राम पंचायत में कुल स्ट्रीट लाईट की आवश्यकता | = | प्रति ग्राम पंचायत सड़को की औसत | x | बिजली के दो खम्भों के बीच की दूरी |
| | = | 12,350 मी. (12.35 किमी.) | ÷ | 50 मीटर |
| | = | **247** | | |
| प्रति ग्राम पंचायत कुल आवश्यक राशि | = | स्ट्रीट लाईट इकाईयों की संख्या | x | प्रति यूनिट संभावित लागत |
| | = | 247 | x | 1500 |
| | = | **रू. 3,70,500** | | |
| प्रति व्यक्ति व्यय | = | प्रति ग्राम पंचायत कुल आवश्यक व्यया | x | प्रति ग्राम पंचायत औसत जनसंख्या |
| | = | 3,70,500 | ÷ | 1681 |
| | = | **रू. 220** | | |
| **2. प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यय** | | | | |
| प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यय | = | **रू. 70**<br>(ग्राम पंचायतों द्वारा 2017–18 से 2021–22 के बीच ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर औसत पूंजीगत व्यय रू. 70 प्रतिवर्ष किया गया है। उसे ही अधिनिर्णय अवधि के लिये अनुमानित राशि का अनुमान लगाने के लिये मान्य किया गया है।) | | |
| **3. सड़कों पर प्रति व्यक्ति व्यय** | | | | |
| प्रति ग्राम पंचायत औसत कच्ची सड़कें | = | 7.07 किमी. | | |
| ग्राम पंचायतों में अनुमानित कुल कच्ची सड़कों की लंबाई | = | ग्राम पंचायतों की संख्या | x | प्रति ग्राम पंचायत औसत कच्ची सड़कें |
| | = | 11664 | x | 7.07 कि.मी. |
| | = | **82,464.48 कि.मी.** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिये कुल राशि की आवश्यकता | = | कुल अनुमानित कच्ची सड़कों की लंबाई | x | प्रति कि.मी. सीसी सड़क की लागत (3मी.चौडी x 6 इन्च मोटी) |
| | = | 82,464.48 | x | रू. 25 लाख |
| | = | **रू. 20,616.12 करोड** | | |
| कच्ची आंतरिक सड़कों/ गलियों को पक्का करने की प्रति व्यक्ति लागत | = | कुल अनुमानित कच्ची सड़कों को पक्क करने की कुल लागत | ÷ | 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या |
| | = | रू. 20,616.12 करोड़ | ÷ | 1,96,08,000 |
| | = | **रू. 10,514** | | |
| **4. प्रति व्यक्ति नाली निर्माण व्यय** | | | | |
| नाली निर्माण की प्रति ग्राम पंचायत औसत आवश्यकता | = | 7.07 कि.मी. सड़कों के दोनो तरफ<br>(प्रति ग्राम पंचायत 7.07 कि.मी. कच्ची सड़कें हैं जिन्हें पक्का किया जाना है) | | |
| कुल आवश्यक नाली निर्माण की लंबाई | = | कुल ग्राम पंचायतों की संख्या | x | नाली निर्माण की प्रति ग्राम पंचायत औसत आवश्यकता |
| | = | 11,664 | x | 7.07 |
| | = | 82,464.48 कि.मी. | | |
| कुल आवश्यक नाली निर्माण हेतु आवश्यक राशि | = | कुल आवश्यक नाली निर्माण की लंबाई | x | प्रति कि.मी. निर्माण लागत |
| | = | 82,464.48 कि.मी. | x | रू. 20 लाख प्रति कि.मी. |
| | = | **रू. 16,492.80 करोड़** | | |
| नाली निर्माण हेतु प्रति व्यक्ति आवश्यक राशि | = | नाली निर्माण हेतु कुल आवश्यक राशि | ÷ | 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या |
| | = | रू. 16,492.80 करोड | ÷ | 1,96,08,000 |
| | = | **रू. 8,411 रूपए** | | |

अनुलग्नक - 12.4

## नगरीय निकायों के बकाया कच्ची सड़कों को पक्का करने की लागत

(राशि राशि रू. में)
(लंबाई कि.मी. में)

| क्र. | नगरीय निकाय का नाम | नगरीय निकायों में कच्ची सड़कों की अनुमानित लंबाई | नगरीय निकायों में पक्की सड़कों की अनुमानित लंबाई | नगरीय निकायों में सड़कों की अनुमानित कुल लंबाई | कच्ची सड़कों को पक्का करने की प्रति कि.मी. निर्माण लागत | कच्ची सड़कों की अनुमानित निर्माण लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर पालिक निगम | 1232 | 4838 | 6070 | 6.00 | 7392.00 |
| 2 | नगर पालिक परिषद | 166 | 1726 | 1892 | 6.00 | 996.00 |
| 3 | नगर पंचायत | 505 | 2503 | 3008 | 6.00 | 3030.00 |
| | **योग** | **1903** | **9067** | **10970** | | **11418.00** |

अनुलग्नक - 12.5

## नगरीय निकायों में बकाया नाली रहित सड़कों पर नाली बनाने की लागत

(राशि करोड़ रू. में)
(लंबाई कि.मी. में)

| क्र. | नगरीय निकाय का नाम | सड़कों की अनुमानित लंबाई | सड़क किनारे नाली की सुविधा वाली सड़कों का प्रतिशत | नाली सुविधा रहित सड़कों का प्रतिशत | नाली सुविधा रहित सड़कों की लंबाई | प्रति कि.मी. नाली निर्माण लागत | बकाया नाली बनाने की लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर पालिक निगम | 6070 | 87.25 | 12.75 | 774 | 4.00 | 3096.00 |
| 2 | नगर पालिक परिषद | 1892 | 73.70 | 26.30 | 498 | 4.00 | 1992.00 |
| 3 | नगर पंचायत | 3008 | 54.71 | 45.29 | 1362 | 4.00 | 5448.00 |
| | **योग** | **10970** | **76.65** | **23.35** | **2634** | | **105360.00** |

अनुलग्नक - 12.6

## बकाया प्रकाश रहित सड़कों पर स्ट्रीट लाईट लगाने की लागत

(राशि राशि रू. में)
(लंबाई कि.मी. में)

| क्र. | नगरीय निकाय का नाम | सड़कों की अनुमानित लंबाई | प्रकाश सुविधा वाली सड़कों की लंबाई का प्रतिशत | प्रकाश सुविधा रहित सड़कों की लंबाई का प्रतिशत | प्रकाश सुविधा रहित सड़कों की लंबाई | प्रति कि.मी. स्ट्रीट लाइट् की संख्या | कुल आवश्यक स्ट्रीट लाइट् की संख्या | प्रति स्ट्रीट लाइट लागत | आवश्यक स्ट्रीट लाइट्स की कुल लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर पालिक निगम | 6070 | 79.74 | 20.26 | 1230 | 25 | 30750 | 2000 | 61500000 |
| 2 | नगर पालिक परिषद | 1892 | 76.83 | 23.17 | 438 | 25 | 10950 | 2000 | 21900000 |
| 3 | नगर पंचायत | 3008 | 77.51 | 22.49 | 676 | 25 | 16900 | 2000 | 33800000 |
| **योग** | | **10970** | **78.61** | 21.39 | **2344** | | **58600** | | **117200000** |

1 प्रति कि.मी. अनुमानित 25 खम्भे/लाईट्स

अनुलग्नक - 12.7

## नगरीय निकायों की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय

(राशि रू. में)

| प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय | 2011 नगरीय निकायों की कुल जनसंख्या | वर्ष 2025 नगरीय निकायों की अनुमानित जनसंख्या | वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2025 में बढ़ने वाली शहरी जनसंख्या | बढ़ने वाली शहरी जनसंख्या के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 27257 | 5937000 | 85,68,000 | 26,31,000 | 71,71,31,67,000 |

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

अनुलग्नक - 12.8

## पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं के स्रोत से प्राप्तिया

(राशि करोड़ रू में)

| क्र. | विवरण | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | योग | पांच वर्षो का औसत | निकायों की स्वयं से स्रोत से औसत आय | कुल अनुमानित प्राप्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम पंचायत | 29.45 | 31.47 | 34.04 | 33.77 | 34 | 162.73 | 32.55 | 0.01 | 63.78 |
| 2 | जनपद पंचायत | 3.8 | 3.2 | 4.00 | 2.28 | 3.7 | 16.98 | 3.40 | 0.03 | 4.96 |
| 3 | जिला पंचायत | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.43 | 0.09 | 0.00 | 0.13 |
| | **योग** | **33.45** | **34.72** | **38.10** | **36.11** | **37.76** | **180.14** | **36.03** | **0.04** | **68.86** |

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

अनुलग्नक - 12.9

## पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं के स्रोत को छोड़कर अन्य मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ(वर्ष 2017-18 से 2021-22)

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र. | विवरण | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | कुल | वार्षिक औसत प्राप्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | समनुदेशित प्राप्तियां | 274.77 | 61.81 | 183.17 | 176.13 | 314.17 | **1010.05** | **202.01** |
| 2 | अनुदान | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्तियाँ | 945.72 | 839.07 | 748.47 | 617.93 | 880.26 | **4031.44** | **806.29** |
| 4 | केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्तियाँ | 1022.18 | 1047.86 | 1415.89 | 1454.00 | 1075.00 | **6014.93** | **1202.99** |
| **कुल राशि** | | **2242.67** | **1948.74** | **2347.53** | **2248.06** | **2269.43** | **11056.42** | **2211.28** |

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

अनुलग्नक - 12.10

## पंचायती राज संस्थाओं की 2025-26 से 2029-30 तक विभिन्न मदों से संभावित (प्रक्षेपित) प्राप्तियां

राशि करोड़ रू. में)

| क्र. | विवरण | पांच वर्षो की औसत वार्षिक प्राप्तियां (2017–18 से 2021–22) | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 | 2029–30 | योग (2025–26 से 2029–30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वयं के स्रोतों से आय | 68.86 | 75.75 | 83.32 | 91.65 | 100.82 | 110.90 | 121.99 | 134.19 | 147.61 | **615.50** |
| 2 | समनुदेशित प्राप्तियां | 202.01 | 222.21 | 244.43 | 268.88 | 295.76 | 325.34 | 357.87 | 393.66 | 433.03 | **1805.66** |
| 3 | अनुदान | | | | | | | | | | |
| | **योग** | **270.87** | **297.96** | **327.75** | **360.53** | **396.58** | **436.24** | **479.86** | **527.85** | **580.63** | **2421.17** |
| 4 | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के प्राप्ति | 806.29 | 886.92 | 975.61 | 1073.17 | 1180.49 | 1298.54 | 1428.39 | 1571.23 | 1728.35 | **7207.00** |
| 5 | केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्ति | 1202.99 | 1323.29 | 1455.62 | 1601.18 | 1761.30 | 1937.43 | 2131.17 | 2344.29 | 2578.72 | **10752.90** |
| | **योग** | **2280.15** | **2508.17** | **2758.98** | **3034.88** | **3338.37** | **3672.20** | **4039.42** | **4443.37** | **4887.70** | **20381.07** |

अनुलग्नक - 12.11

## नगरीय निकायों की स्वयं की स्रोत से कुल आय

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र. | विवरण | स्वयं के स्रोत से आय | | | | | | | न्यादर्श निकायों की संख्या | निकायों की स्वयं के स्रोत के औसत आय | निकायों की कुल संख्या | निकायों की स्वयं के स्रोत से कुल अनुमानित आय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | योग | पांच वर्षो का औसत | | | | |
| 1 | नगर पालिक निगम | 279.89 | 287.23 | 275.03 | 303.73 | 359.08 | 1504.96 | 300.992 | 7 | 43.00 | 14 | 601.98 |
| 2 | नगर पालिका परिषद | 44.99 | 41.58 | 37.21 | 48.49 | 48.13 | 220.4 | 44.08 | 26 | 1.70 | 44 | 74.60 |
| 3 | नगर पंचायत | 22.27 | 22.37 | 18.87 | 23.58 | 24.64 | 111.73 | 22.346 | 49 | 0.46 | 112 | 51.08 |
| | **योग** | **347.15** | **351.18** | **331.11** | **375.8** | **431.85** | **1837.09** | **367.418** | **82** | **45.15** | **170** | **727.66** |

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

अनुलग्नक - 12.12

## नगरीय निकायों की स्वयं के स्रोत को छोड़कर अन्य मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ(वर्ष 2017-18 से 2021-22)

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र. | विवरण | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | कुल | वार्षिक औसत प्राप्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | समनुदेशित प्राप्तियां | 75.55 | 49.02 | 71.98 | 77.42 | 102.45 | **376.42** | **75.28** |
| 2 | अनुदान | 1275.56 | 840.14 | 1048.97 | 1048.97 | 1010.31 | **5223.96** | **1044.79** |
| | योग (1+2) | **1351.11** | **889.16** | **1120.95** | **1126.40** | **1112.76** | **5600.38** | **1120.08** |
| 3 | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्तियाँ | 441.55 | 299.76 | 320.73 | 441.62 | 451.45 | **1955.11** | **391.02** |
| 4 | केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्तियाँ | 243.80 | 282.04 | 451.56 | 403.50 | 530.00 | **1910.90** | **382.18** |
| | **कुल राशि** | **2036.46** | **1470.95** | **1893.25** | **1971.52** | **2094.21** | **9466.39** | **1893.28** |

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

अनुलग्नक - 12.13

## नगरीय निकायों की 2025-26 से 2029-30 तक विभिन्न मदों से संभावित (प्रक्षेपित) प्राप्तियां

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र. | विवरण | पांच वर्षो की औसत वार्षिक प्राप्तियां (2017–18 से 2021–22) | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 | 2029–30 | योग (2025–26 से 2029–30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वयं के स्रोतों से आय | 727.66 | 800.43 | 880.47 | 968.52 | 1065.37 | 1171.90 | 1289.09 | 1418.00 | 1559.80 | **6504.17** |
| 2 | समनुदेशित प्राप्तियां एवं अनुदान | 1120.07 | 1232.08 | 1355.29 | 1490.82 | 1639.9 | 1803.88 | 1984.27 | 2182.7 | 2400.97 | **15209.98** |
| 3 | राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के प्राप्ति | 391 | 430.10 | 473.11 | 520.42 | 572.46 | 629.71 | 692.68 | 761.95 | 838.14 | **3494.94** |
| 4 | केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्ति | 382.18 | 420.40 | 462.44 | 508.68 | 559.55 | 615.50 | 677.06 | 744.76 | 819.24 | **3416.11** |
| | **योग** | **2620.91** | **2883.00** | **3171.30** | **3488.43** | **3837.27** | **4221.00** | **4643.10** | **5107.41** | **5618.15** | **23426.94** |

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

## अनुलग्नक - 12.14

# स्थानीय निकायों को समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में देय/कर/उपकर अधिभार राशि

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र | विवरण | वास्तविक | | | | | मध्य अवधि | | | 10% वार्षिक वृद्धि के आधार पर प्रक्षेपित मूल्य | | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017-2018** | **2018-2019** | **2019-2020** | **2020-2021** | **2021-2022** | **2022-23** | **2023-24** | **2024-25** | **2025-26** | **2026-27** | **2027-28** | **2028-29** | **2029-30** | |
| 1 | स्टाम्प शुल्क | 69 | 73.74 | 126.79 | 136.90 | 172.45 | 189.70 | 208.67 | 229.54 | 252.49 | 277.74 | 305.51 | 336.06 | 369.67 | 1541.47 |
| 2 | वस्तु एवं सेवा कर | 4386.56 | 8203.41 | 7894.82 | 7925.01 | 9483.48 | 11795.96 | 13565.35 | 15600.15 | 17940.18 | 20631.21 | 23725.89 | 27284.77 | 31377.49 | 120959.54 |
| 3 | वस्तु एवं सेवा कर के 7.72 प्रतिशत राशि | | | | | | | | | 1529.68 | 1682.64 | 1850.91 | 2036.00 | 2239.60 | 9338.83 |
| 4 | आबकारी शुल्क में अधिभार | 281.88 | 318.81 | 323.04 | 246.18 | 261.27 | 287.40 | 316.14 | 347.75 | 382.53 | 420.78 | 462.86 | 509.14 | 560.06 | 2335.36 |
| 5 | ग्रामीण विकास निधि | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150.00 |
| | **योग** | **4767.44** | **8625.95** | **8374.65** | **8338.10** | **9947.20** | **12303.06** | **14120.16** | **16207.44** | **2194.69** | **2411.16** | **2649.28** | **2911.20** | **3199.33** | **13365.66** |

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

अनुलग्नक - 12.15

## चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के अधिकारी / कर्मचारीगण

1. अध्यक्ष, श्री सरजियस मिंज
2. सचिव, श्री सतीश पाण्डेय
3. संयुक्त सचिव, श्री जसमिंदर सिंह विरदी
4. अनुसंधान अधिकारी, सुश्री पायल गुप्ता
5. लेखक, श्री माधव हरदेवी
6. निज सचिव, श्री एम.एन. राजुरकर
7. सहा. ग्रेड 02, श्री अशोक कुमार कावड़े
8. सहा. ग्रेड 03, श्री जैनेन्द्र वैष्णव
9. कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री अमित पंसारी
10. कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री गिरीश कुमार साहू
11. कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री शुभम पंसारी
12. वाहन चालक, श्री दीपक कुमार जोल्हे
13. वाहन चालक, श्री गंगााधर साहू
14. वाहन चालक, श्री प्रमोद साहू
15. भृत्य, श्री चन्द्रशेखर वर्मा
16. भृत्य, श्री गणेश्वर पटेल
17. भृत्य, श्री कौशिक बिहारी
18. भृत्य, श्री संदीप कुमार दिवाकर
19. भृत्य, श्री बैसाखु राम